वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

विनियामक फोरम (एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ),
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91–11–23753920
फैक्सः +91–11–23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2018–2019 के दौरान, विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर आगे बढ़ने के लिए सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

फोरम ने डीम्ड वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों), वितरण फ्रैंचाइजी और 33 किलोवाट वोल्टेज स्तर से नीचे या उससे ऊपर से जुड़े विद्युत के सभी नामित उपभोक्ता(ओं) सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "विद्युत गुणवत्ता" के संबंध में अध्ययन किया और मॉडल विनियमों को तैयार किया। मॉडल विनियमों ने विद्युत गुणवत्ता के सूचकांकों, विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं और दायित्वों, पालन किए जाने वाले मानकों/सीमाओं, उपयोग में लाए जाने वाली प्रोत्साहन/निरुत्साहन तंत्रो और विद्युत की गुणवत्ता के सभी पहलुओं के मॉनिटरिंग प्रबंधन और नियंत्रण को भी परिभाषित किया।

फोरम ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए एक टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स की सिफारिशों में उत्पादन का कार्यात्मक पृथक्करण, पारेषण और वितरण कारोबार, आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) और प्राप्त की गई प्रति यूनिट औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर को कम करना, डीएसएम विनियमों को जारी करना और कार्यान्वयन, मांग में भावी वृद्धि के लिए एक रोडमैप तैयार करना, सब–स्टेशन और फीडर स्तर पर ऊर्जा ऑडिट, एटी एंड सी हानियों में कमी, क्षेत्र निर्दिष्ट डाटा पोर्टल, उत्तर पूर्व क्षेत्रों के एसएलडीसी का सशक्तिकरण, ज्ञान के आदान–प्रदान और क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र निर्दिष्ट कोर समूह और उत्तर पूर्व क्षेत्र में राज्य विनियामक आयोगों का संस्थागत सशक्तिकरण सम्मिलित थे। अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिश किए गए वे–फॉरवर्ड में यूटिलिटीज की एआरआर/एपीआर प्रक्रिया के दौरान इस रिपोर्ट में विचार–विमर्श किए गए प्रदर्शन मानदंडों की आवधिक मॉनिटरिंग द्वारा प्रदर्शन वृद्धि के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों द्वारा एक निरंतर प्रक्रिया करनाय एसईआरसी और अन्य हितधारकों जैसे उत्तर पूर्व राज्यों में राज्य यूटिलिटीज और राज्य सरकारों द्वारा उदय, उजाला जैसी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन, उत्तर पूर्व राज्य में ग्रिड अनुशासन के कार्यान्वयन के लिए समस्त (एसएएमएएसटी), डीएसएम का कार्यान्वयन और उत्तर पूर्व राज्यों जिसमें कि उत्तर–पूर्व प्रदेश में डिस्कॉम और एसएलडीसी सम्मिलित हो सकते हैं, के बीच विनियामक विकासों / नई खोजों को साझा करने के लिए ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए मंच का निर्माण सम्मिलित है।

फोरम ने एफओआर तकनीकी समिति के उप–समूह के "एलडीसी की क्षमता निर्माण" के संबंध में रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि एलडीसी की संस्थागत क्षमता निर्माण, समस्त (एसएएमएएसटी) के माध्यम से आरईएस के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन के लिए फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर), सहायक सेवाएं, लचीली सेवाओं के मूल्यांकन आदि जैसे विभिन्न विनियामक पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में उपयुक्त कौशल के साथ पर्याप्त मैन–पॉवर के माध्यम से एलडीसी की वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता पर सिफारिशों के कार्यान्वयन, वास्तविक समय प्रचालन डेस्कों के सशक्तिकरण, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना और संचार प्रणालियों, स्वचालन और निर्णय समर्थन उपकरणों, उपयुक्त कार्य वातावरण, मानव संसाधन निर्माण, एफओएलडी के माध्यम से सहयोगी शिक्षण, एलडीसी सशक्तिकरण रिजर्व के लिए प्रावधान, प्रमाणन रिटेनर–शिप, केपीआई से जुड़े प्रोत्साहनों, बेंचमार्किंग और ईनामी कार्यक्रमों आदि के लिए 365 दिनों के रोड मैप की व्यवस्था थी।

फोरम द्वारा की गई पहलों की पृष्ठभूमि में, प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अध्ययनों की सिफारिशों को अपनाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय सूची

1. विनियामक फोरम 7

2. विनियामक फोरम की गतिविधियां 9

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें 9

9 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 63वीं बैठक 9

24 अगस्त, 2018 को रांची, झारखंड में आयोजित एफओआर की 64वीं बैठक 10

13 नवम्बर, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित एफओआर की 65वीं बैठक 11

18 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 68वीं बैठक 12

2.2 पूरे किए गए अध्ययन 13

उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की पावर गुणवत्ता 13

भारतीय भार प्रेषण केंद्रों का क्षमता निर्माण 13

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए रिपोर्ट 14

भारत में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर पीवी के लिए मीटरिंग विनियम और लेखांकन फ्रेमवर्क 15

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम 15

21 मई, 2018 को रायपुर में विद्युत विनियामक आयोगों के सचिवों की तीसरी कार्यशाला 15

11 से 12 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित की सुरक्षा'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15

11 से 13 फरवरी, 2019 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर में 12वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम 16

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर और सेंटर फॉर रेगुलेशन (सीईआर) और एनर्जी एनालिटिक्स लैब (ईएएल) के सहयोग से 13 से 15 मार्च, 2019 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में विद्युत विनियामक आयोगों के आयुक्तों के लिए पहला वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम 16

3. वर्ष 2018 –19 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी जेईआरसी) 18

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 18

असम विद्युत विनियामक आयोग 20

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 20

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21

बिहार विद्युत विनियामक आयोग 21

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 22

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग 22

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग 22

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 22

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य प्रदेश) 23
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम) 23
झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23
कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग 24
केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग 24
महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग 24
मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 25
मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग 25
नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग 25
ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग 26
पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग 26
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग 26
सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग 26
त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग 27
तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग 27
तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग 27
उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 27
उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग 27
पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग 28

4. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की स्थिति 29

5. केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची 30

6. वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा 32

अनुबंध – I 50
सीईआरसी द्वारा अवधारित उत्पादन टैरिफ 50
अनुबंध – II 58
एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों की समयबद्धता 58
अनुबंध – III 62
सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली 62

1 विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डो में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विद्युत विनियामक आयोगों को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों (विविआ) को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब 1998 के अधिनियम को विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम की शुरुआत से विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को 2003 के अधिनियम की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था।

केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम भी बनाए हैः–

❖ फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

❖ फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;

- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोंर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

❖ फोरम का वित्त

- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

❖ मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार है:–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

2 फोरम की गतिविधियाँ

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित कीं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई।

अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 63वीं बैठक

- फोरम को सूचित किया गया था कि विद्युत मंत्रालय विभिन्न संचार माध्यमों से फोरम के सचिवालय से सीईआरसी और एसईआरसी के समक्ष दायर मामलों / याचिकाओं और उनके निपटान की स्थिति और विवरण नियमित रूप से प्रदान करने के लिए अनुरोध कर रहा है। इस संबंध में, अध्यक्ष, सीईआरसी / एफओआर ने सदस्यों को बृहत्तर पारदर्शिता और प्रकटीकरण की दिशा मे एक कदम के रूप में अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर पेंडेंसी की स्थिति का विवरण (अर्थात् दायर याचिका, निपटाई गई याचिका और लंबित याचिका है, सीईआरसी के प्रारूप में) को रखने का सुझाव दिया।
- फोरम को सूचित किया गया था कि टैरिफ नीति, 2016 के खंड 5.11 (ग) में केंद्रीय आयोग द्वारा उत्पादन और पारेषण के संबंध में मूल्यह्रास की दरों को अधिसूचित करने की व्यवस्था है जो उपयुक्त संशोधन के साथ वितरण आस्तियों के लिए लागू होगीं जैसी भी विनियामक फोरम द्वारा विकसित की जा सकती हैं। फोरम ने कहा कि अपनी पूर्व बैठक में अध्यक्ष, सीईआरसी / एफओआर को एक कार्यकारी समूह गठित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। फोरम ने इस मामले पर विचार–विमर्श किया और निर्णय लिया कि "निवेश पर रिटर्न" और "वितरण क्षेत्र में प्रचालन मानदंड" से संबंधित मुद्दों को भी कार्यकारी समूह के दायरे में शामिल किया जा सकता है। फोरम ने सुझाव दिया कि असम ईआरसी, बिहार ईआरसी, गुजरात ईआरसी, केरल राज्य ईआरसी और पश्चिम बंगाल ईआरसी प्रत्येक में से एक सदस्य को कार्यकारी समूह में शामिल किया जा सकता है।
- फोरम ने निम्नलिखित पर प्रस्तुतियों को नोट किया

  क) भार / उत्पादन प्रबंधन – अंत:दिवस (आरई सहित परिवर्तन से निपटने के विकल्प) संदर्भ – आरई एकीकरण के लिए प्रादेशिक सहयोग

  ख) 5–मिनट अनुसूचीकरण, मीटरिंग, लेखांकन और व्यवस्थापन के कार्यान्वयन के लिए उप–समूह

  ग) हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों से त्वरित रिस्पॉन्स सहायक सेवाएं (एफआरएएस) का परिचय

फोरम ने सीईआरसी और सीईए से जल्द से जल्द सुझाए गए पायलट अध्ययन के साथ फोरम को आगे ले जाने का अनुरोध किया। राज्य स्तर पर समान कार्रवाई करने हेतु एसईआरसी को सक्षम बनाने के लिए फोरम के साथ परिणाम साझा किए जा सकते हैं।

फोरम ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में हाइड्रो के लिए एफआरएएस) पर पायलट अध्ययनों (5–मिनट अनुसूचीकरण, मीटरिंग, लेखांकन और व्यवस्थापन पर पायलट अध्ययनों के साथ) के लिए तकनीकी समिति की सिफारिश का समर्थन किया।

- फोरम ने "पारेषण नियोजन, संयोजकता, दीर्घ कालिक पहुंच, मध्य कालिक निर्बाध पहुंच और अन्य सहबद्ध मामलों की समीक्षा" के लिए समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए ड्राफ्ट सीईआरसी (संयोजकता प्रदान करना, सामान्य नेटवर्क पहुंच और अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2017 को दिनांक 14.11.2017 को नोट किया।
- एईआरसी ने फोरम को सूचित किया वर्ष 2022 तक 8% सौर और 17% की समग्र ट्रेजेक्टरी (सौर और गैर–सौर सहित) तक पहुंचने के लिए, आरपीओ ट्रेजेक्टरी के निर्धारण के लिए टैरिफ नीति, 2016 में निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, एईआरसी ने अपने आरपीओ विनियमों को संशोधित किया है। इसके बाद, एमएनआरई ने दिनांक 22.07.2016 को यह प्रस्ताव देते हुए कुछ अन्य दिशानिर्देशों को जारी किया कि 17% का समग्र आरपीओ वित्तीय वर्ष 2018–19 में ही प्राप्त किया जा सकता है। फोरम ने इसे नोट किया और देखा कि आरपीओ ट्रेजेक्टरी को निर्धारित करने की शक्ति संबंधित एसईआरसी / जेईआरसी के साथ निहित है और इसलिए, उनके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है।

- ईआरसी ने ''जनता की सुरक्षा और पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति'' के संबंध में एकरूप और मानक मॉडल विनियमों को लाने पर फोरम को अनुरोध करते हुए, फोरम ने नोट किया कि एपीईआरसी, टीएसईआरसी और बीईआरसी जनता की सुरक्षा और पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के संबंध में पहले ही अपने राज्य निर्दिष्ट विनियमों को ला चुके हैं। फोरम ने देखा कि अन्य एसईआरसी / जेईआरसी अपने स्वयं के विनियमों को ला सकते हैं।
- फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा हाइड्रो विद्युत खरीद के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए फोरम का हस्तक्षेप मांगते हुए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने देखा कि टैरिफ नीति, 2016 में हाइड्रो परियोजनाओं के लिए लागत और टैरिफ अवधारण के लिए व्यवस्था है। इसलिए, आगे की किसी कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया गया है।
- फोरम ने निर्बाध पहुंच का लाभ उठाने के लिए डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी के रूप में भारतीय रेल द्वारा देय अन्य निबंधन और शर्त के साथ विभिन्न प्रभारों की प्रयोज्यता को निर्धारित करने के लिए एफओआर का हस्तक्षेप मांगते हुए हरियाणा ईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया, ताकि प्रभारों की उगाही के संबंध में राज्यों में एकरूपता प्राप्त हो सके। फोरम ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 और टैरिफ नीति, 2016 में उपयुक्त सीईआरसी / जेईआरसी द्वारा टैरिफ और लागू प्रभारों के अवधारण की व्यवस्था है। इसलिए, इस मामले पर संबंधित एसईआरसी / जेईआरसी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया और निर्णय लिया जा सकता है।
- फोरम ने विद्युत पर जीएसटी की प्रयोज्यता से संबंधित मामले को केन्द्रीय सरकार तक ले जाने और जीएसटी के दायरे से एसईआरसी की छूट के लिए एफओआर का हस्तक्षेप मांगते हुए एचईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने कहा कि सीईआरसी से संबंधित मामले को पहले ही जीएसटी परिषद के पास भेज दिया गया है और परिषद से जवाब का इंतजार किया गया है।
- फोरम ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के प्रकाश में निर्बाध पहुंच प्रभारों की छूट पर चर्चा मांगते हुए एचईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 और टैरिफ नीति, 2016 में उपयुक्त एसईआरसी / जेईआरसी द्वारा टैरिफ और लागू प्रभारों के अवधारण की व्यवस्था है। इसलिए, मामले पर संबंधित एसईआरसी / जेईआरसी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया और निर्णय लिया जा सकता है।
- फोरम ने पंजाब में स्थित आईपीपी में एफजीडी की समकालिक स्थापना को रोकने के लिए एफओआर के हस्तक्षेप की मांग करते हुए पीएसईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने इस मामले पर चर्चा की और देखा कि पीएसईआरसी इस मामले को राज्य सरकार के माध्यम से सीधे एमओईएफ और सीईए के साथ उठाने पर विचार कर सकता है।
- फोरम को सूचित किया गया था कि टीईआरआई द्वारा विकसित वेब–टूल आरपीओ वेब–टूल के क्रमवेशन को सुगम बनाता है जिस प्रकार एफओआर स्थाई तकनीकी समिति सुगम बनाया गया है। इस प्रकार की अंतर–संचालनीयता मौजूदा तंत्र के उपयोग को उसकी पूर्ण क्षमता की सुविधा प्रदान करती है। एमएनआरई के प्रतिनिधि ने फोरम को यह भी सूचित किया कि एमएनआरई द्वारा विकसित वेब–टूल सभी राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। एसईआरसी / जेईआरसी, एमएनआरई से संपर्क कर सकते हैं।

24 अगस्त, 2018 को रांची, झारखंड में आयोजित एफओआर की 64वीं बैठक

- झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास बैठक में शामिल हुए। फोरम को अपने संबोधन में, उन्होंने नवीकरणीय सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वर्ष 2022 तक 4000 मेगावाट उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित करके राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्राथमिकता के बारे में बात की और यह कामना की कि एफओआर बैठक के दौरान लाभदायक चर्चा करेगा।
- अध्यक्ष, सीईआरसी, जेएसईआरसी और जीईआरसी ने ''भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र'' पर पोसोको रिपोर्ट जारी की। चर्चा के बाद, फोरम ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। कुछ सदस्यों ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्यों के विरुद्ध प्रत्याशित कमी के साथ–साथ आरई उत्पादन की लागत में कमी / परिवर्तनों के संदर्भ में आरईसी तंत्र पर पुनः विचार की मांग की। इस मामले में, फोरम को सूचित किया गया कि सीईआरसी आरईसी के विनियामक प्रभाव आकलन पर एक अध्ययन करने की प्रक्रिया में है और वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में आरईसी तंत्र की प्रासंगिकता के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को उक्त अध्ययन में कवर किया जाएगा।
- फोरम को एफओआर मॉडल नेट मीटरिंग विनियम, 2013 को अद्यतन करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित आरंभ किए गए अध्ययन ख्भारतीय स्टेट बैंक को परिणामों के लिए प्रदर्शन (पीएफआर) ऋण साधन के अधीन, से अवगत कराया गया था। सिमुलेशन परिणामों के साथ सुझाए गए कारोबार मॉडल सहित एक प्रस्तुति परामर्शदाताओं की टीम द्वारा दी गई थी, गैप असेसमेंट और ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए मॉडल विनियम पर रिपोर्ट

भी प्रस्तुत की गई। फोरम ने मॉडल विनियमों और रिपोर्ट पर विचार किया और एफओआर सचिवालय को 15 दिनों के भीतर एसईआरसी / जेईआरसी से टिप्पणियां मांगने का निर्देश दिया। प्राप्त टिप्पणियों को संकलित करने और उन्हें रिपोर्ट और मॉडल विनियमों में सम्मिलित करने के बाद, उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एफओआर की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- फोरम ने एसईआरसी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय स्तर डाटा रजिस्ट्री प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट क्षमता से ऊपर के सभी विद्युत उत्पादनकारी इकाइयों को निर्देश देने के लिए अपने टैरिफ विनियमों, आरई टैरिफ विनियमों और सौर रूफटॉप विनियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी सीईआरए को अनुरोध करते हुए सीईए से प्राप्त प्रस्ताव को नोट किया।
- फोरम को "भारतीय विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक सुध ाारों का समर्थन" (विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), ब्रिटेन सरकार के साथ विद्युत मंत्रालय (एमओपी), (भारत सरकार) की साझेदारी के बारे में सूचित किया गया, जो कि मुख्य रूप से भारतीय विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करने और विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए है। इस कार्यक्रम के अधीन, परामर्शदाता प्लेटफॉर्म पर राज्यों की तुलनात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए एफओआर की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एफओआर की सहायता कर रहा है। फोरम ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और सुझाव दिया कि इस प्रकार से विकसित किए गए प्रारूपों को सभी एसईआरसी ध जेईआरसी के साथ उनकी टिप्पणियों और विचार के लिए साझा किया जाना चाहिए।
- फोरम ने डब्ल्यूबीईआरसी के लिए विकसित ईआरएमएस पर प्रस्तुति का उल्लेख किया। यह प्रणाली याचिका डाटा और बाह्य डाटा को अधिकार में लेकर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत डाटा को मान्य करने में आयोग की सहायता करती है।
- फोरम को विद्युत गुणवत्ता पर मॉडल विनियम और एफओआर की रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया गया। उप–समूह ने विद्युत गुणवत्ता पर मॉडल विनियमों को भी तैयार किया, जो डीम्ड वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों), वितरण फ्रैंचाइजी और 33 किलोवाट वोल्टेज स्तर से नीचे या उससे ऊपर से जुड़े विद्युत के सभी नामित उपभोक्ता(ओं) सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) पर लागू होगा। फोरम ने विद्युत गुणवत्ता पर रिपोर्ट को समर्थित किया।
- फोरम ने सीईआरसी की राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर) पहल का उल्लेख किया और कहा कि फोरम के सदस्य इस पहल का समर्थन कर सकते हैं और सीईआरसी द्वारा परिकल्पित निर्बाध पहुंच संव्यवहारों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संबंधित हितधारकों (एसएलडीसी सहित) को प्रभावित कर सकते हैं।
- फोरम ने एसईआरसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने से संबंधित सदस्य, एमईआरसी के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिसमें राज्य सरकारों को एसईआरसी के लिए स्वयं की भूमि और भवन प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप था, जिसने विनियामक निकायों को इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करने के लिए समर्थन किया था।
- विचार–विमर्श के बाद, फोरम ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से सहमति जताई कि एसईआरसी को पर्याप्त स्टाफ बल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह सहमति हुई कि उसी विषय के संबंध में एफओआर की पूर्ववर्ती रिपोर्ट पर एसईआरसी / जेईआरसी और अन्य विनियामक निकायों में स्टाफ बल की संरचना के विश्लेषण के साथ पुनः विचार किया जा सकता है।
- अध्यक्ष, डब्ल्यूईआरसी ने फोरम को सूचित किया कि एक फोरम का गठन करने की आवश्यकता है जो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर चर्चा करेगा। चर्चा के बाद, फोरम विद्युत मंत्रालय की "समीक्षा, नियोजन और मॉनिटरिंग" की मासिक बैठकों के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रमुखों के साथ लगातार बैठक आयोजित करने की संभावना को पता लगाने पर सहमत हुआ।

13 नवंबर, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित एफओआर की 65वीं बैठक

- फोरम को उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए एफओआर टास्क फोर्स की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। रिपोर्ट पर विचार–विमर्श के बाद, फोरम ने कुछ सिफारिशों के साथ टास्क फोर्स की सिफारिशों और आगे बढ़ने के तरीकों का समर्थन किया।
- फोरम को वितरण आस्तियों के लिए मूल्यह्रास की विकास दरों, निवेश पर रिटर्न और विचलन क्षेत्र पर प्रचालन मानदंड के संबंध में एफओआर के कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक में विचार–विमर्श और सिफारिशों के अंतिम रूप से अवगत कराया गया। चर्चा के बाद, फोरम ने कार्यकारी समूह की सिफारिशों का समर्थन किया।
- एफओआर के सदस्यों को सभी एसईआरसी / जेईआरसी में ई–कोर्ट के कार्यान्वयन के लिए वेबटूल विकसित करने के लिए एनआईसी से प्राप्त

पुनरीक्षित प्रस्ताव के संबंध में अद्यतन किया गया था। फोरम के सदस्यों ने महसूस किया कि एनआईसी, एसईआरसी/जेईआरसी के लिए परियोजना का प्रभावी, विश्वसनीय और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कॉपीराइट को आदर्श रूप से एफओआर के पास रखा जाना चाहिए। एफओआर सचिवालय को निधियों के शीघ्र रिलीज के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया ताकि एनआईसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सके और सभी एसईआरसी / जेईआरसी में ई–कोर्ट के कार्यान्वयन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरंभ हो सके।

- फोरम को एफओआर के संबंध में जीएसटी की प्रयोज्यता से अवगत कराया गया था और एफओआर द्वारा सहमति के अनुसार, एफओआर ने जीएसटी के लिए स्वयं को पंजीकृत किया है और जनवरी 2018 से सदस्यता शुल्क पर जीएसटी का भुगतान कर रहा है। फोरम ने पंजीकरण की तिथि (नवंबर 2018) से एफओआर के संबंध में जीएसटी पर टीडीएस की प्रयोज्यता का समर्थन किया।
- फोरम को सूचित किया गया था कि मॉडल विनियम और "भारत में ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप पीवी के लिए व्यापक मीटरिंग और लेखांकन फ्रेमवर्क के अंतराल आकलन""पर रिपोर्ट की 64वीं बैठक में चर्चा की गई थी और बैठक के दौरान कुछ मुद्दों को उठाया गया था और रिपोर्ट पर तदुपरांत स्थायी तकनीकी समिति की 21वीं और 22वीं बैठक में चर्चा की गई थी। फोरम को अवगत कराया गया था कि तकनीकी समिति ने सिफारिशों की थीं। विचार–विमर्श के बाद, फोरम ने रिपोर्ट और विनियमों में अनुगामी संशोधनों के अधीन मॉडल विनियमों और रिपोर्ट का समर्थन किया।
- ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक बैठक में शामिल हुए। फोरम को दिए अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और विनियामक फोरम से अनुरोध किया कि वे राज्य और उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र को महत्वपूर्ण सिफारिशें करें। उन्होंने फोरम को राज्य की सामाजिक–आर्थिक वृद्धि को देखने के लिए मेक–इन–ओडिशा सम्मेलन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।
- एलडीसी (सीएबीआईएल) की क्षमता निर्माण पर रिपोर्ट औपचारिक रूप से अध्यक्ष, सीईआरसी / एफओआर, अध्यक्ष, जीईआरसी, अध्यक्ष, ओईआरसी और सचिव, सीईआरसी द्वारा जारी की गई। फोरम ने उप–समूह के प्रयासों की सराहना की और क्षेत्र में भार प्रेषण केंद्रों की भूमिका को स्वीकार किया। फोरम ने उप–समूह की रिपोर्ट को अपनाया (जैसा कि एफओआर तकनीकी समिति द्वारा समर्थन किया गया)।
- फोरम ने टैरिफ नीति 2016 और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रस्तावित संशोधनों में उपबंधों पर चर्चा की।
- फोरम को सितंबर–अक्टूबर 2018 के माह में विद्युत एक्सचेंज में विद्युत की कीमतों की प्रवृत्ति से अवगत कराया गया था। फोरम ने विचार–विमर्श के बाद कहा कि विद्युत एक्सचेंजों में संव्यवहारों की मॉनिटरिंग सीईआरसी द्वारा की जानी चाहिए। यह सहमति व्यक्त की गई कि कीमत खोज तंत्र के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति की व्यवस्था एफओआर की आगामी बैठक में की जाएगी।
- अध्यक्ष, जीईआरसी ने फोरम को विशेष रूप से सभी एसईआरसी/जेईआरसी के नए अध्यक्षों और सदस्यों के लिए विनियमों के विधिक पहलुओं के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया। फोरम ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की और सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ताओं को भी सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। जीईआरसी को औपचारिक रूप से एफओआर सचिवालय को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था ताकि इसे आगामी एफओआर बैठक में एजेंडा विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

18 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 66वीं बैठक

- फोरम को सीबीआईपी द्वारा "सीईआरसी और एसईआरसी द्वारा जारी किए गए विनियमों'" और ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में एमएनआरई और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित नीतियां'' के संबंध में प्रकाशित संकलनों से अवगत कराया गया था। संकलनों में हितधारकों के लाभ के लिए उनकी वेबसाइट पर होस्टेड डाउनलोड योग्य संस्करणों और तुलनात्मक विवरणों के साथ–साथ सारांश सहित समेकित आदेश / विनियम सम्मिलित थे। फोरम ने इसे नोट किया।
- "मांग पूर्वानुमान और खरीद नियोजन पर विनियामक फ्रेमवर्क" के संबंध में एक मोनोग्राफ विमोचित किया गया था।
- फोरम को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा पावर एक्सचेंजों में कीमत खोज तंत्र से अवगत कराया गया था।
- सीईआरसी के एमआईएस प्रभाग के सहयोग से एफओआर सचिवालय ने एफओआर की वेबसाइट को अधिक सुरक्षित, अनुक्रियाशील, गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसे फिर से डिजाइन करने का प्रस्ताव रखा है। फोरम ने वेबसाइट डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष सीईआरसी / एफओआर को प्राधिकृत किया।
- फोरम ने ''रिले / संरक्षण प्रणालियों की आवधिक ऑडिट के संबंध में सीईआरसी द्वारा आरपीसी को

निर्देश'' के संबंध में चर्चा की और राज्यों के भीतर पारेषण प्रणाली / वितरण प्रणाली में सुरक्षा ऑडिट और रिले सेटिंग को पूरा करने के महत्व की पहचान की। अध्यक्ष, सीईआरसी / एफओआर ने फोरम के सदस्यों से आवश्यक अनुपालन के लिए राज्य–स्तर पर मामला उठाने का आग्रह किया। सदस्यों ने सुझाव को नोट किया।

- फोरम को एफओआर की स्थायी तकनीकी समिति की गतिविधियों से अवगत कराया गया। उन्होंने फोरम को सूचित किया कि एग्रीगेटर्स / योग्यता प्राप्त समन्वय एजेंसियों (क्यूसीए) के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और हितधारकों की भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाले एक मॉडल करार 5 भी तैयार करने के लिए अध्यक्ष, केएसईआरसी की अध्यक्षता में एक उप–समूह का गठित किया गया।
- फोरम को आरईसी विनियामक फ्रेमवर्क के अवलोकन से अवगत कराया गया। यह भी सूचित किया गया कि आरईसी तंत्र पर विनियामक प्रभाव आकलन अध्ययन आरंभ किया गया है जो कि अन्य के साथ फ्लोर और फोरबियरेंस कीमत निर्धारण तंत्र पर ध्यान के लिए अधिदेशित है।

2.2 पूरे किए गए अध्ययन

उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की पावर गुणवत्ता

विनियामक फोरम ने महसूस किया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित विनियमों के अधीन विद्युत की गुणवत्ता के सभी मापदंडों को कवर नहीं किया गया है। वैश्विक स्तर पर, कई देशों में, पावर गुणवत्ता (पीक्यू) मानकों को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के साथ–साथ डिस्कॉम के लिए विनियमों के माध्यम से कार्यान्वित और लागू किया जाता है। विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अधिकतर विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता और विद्युत गुणवत्ता के मानकों के अधिक प्रभावी अनुपालन की आवश्यकता देखते हुए, "उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की पावर गुणवत्ता" के संबंध में एफओआर ने अध्ययन की शुरुआत की।

अध्ययन के उद्देश्यों में मॉडल पीक्यू विनियमों का मसौदा तैयार करने सहित उपयुक्त विनियामक हस्तक्षेपों के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित मुद्दों की जांच करना और उपाय सुझाना सम्मिलित हैं।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- पावर गुणवत्ता विनियमों की आवश्यकता है जो विद्युत गुणवत्ता के सूचकांकों, विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं और दायित्वों, पालन किए जाने वाले मानकों/ सीमाओं, उपयोग में लाए जाने वाली प्रोत्साहन / निरुत्साहन तंत्रो और विद्युत की गुणवत्ता के सभी पहलुओं के मॉनिटरिंग प्रबंधन और नियंत्रण को परिभाषित करते हैं।
- विश्वसनीयता सूचकांक (सैफी, सैदी) को मॉडल पीक्यू विनियमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- विनियामकों को पारेषण और उप–पारेषण प्रणाली स्तर पर विद्युत गुणवत्ता के मानदंडों की मॉनिटरिंग के लिए उनके ग्रिड / आपूर्ति कोड या प्रदर्शन विनियम के मानकों में उपयुक्त तंत्र को लाना चाहिए।
- हार्मोनिक विरूपण, वोल्टेज भिन्नता और फ्लिकर, वोल्टेज असंतुलन, वोल्टेज सैग्स / स्वैल्स घंटियाँ और लघु और दीर्घ आपूर्ति रुकावटों जैसे विद्युत गुणवत्ता मानदंडों को पीक्यू विनियमों में निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है।
- वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पहचाने गए स्थानों पर विद्युत गुणवत्ता मानदंडों की निगरानी और रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।
- प्रोत्साहन / निरुत्साहन तंत्र को चरणबद्ध तरीके से संरचित और कार्यान्वित किया जा सकता है।
- विद्युत गुणवत्ता मापदंडों को वितरण में स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- एसईआरसी पर्याप्त लंबी अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या थोक उपभोक्ताओं द्वारा, जैसा भी मामला हो, पीक्यू डाटाबेस को बनाए रखने का दायित्व तय कर सकते हैं।
- विनियामक फ्रेमवर्क पीक्यू मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकता है।
- विनियामक फ्रेमवर्क को स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा पीक्यू मानदंडों की अनुपालन लेखापरीक्षा को आरंभ कराना चाहिए।

अध्ययन को एफओआर द्वारा 24 अगस्त, 2018 को रांची, झारखंड में आयोजित इसकी 64वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

भारतीय भार प्रेषण केंद्रों का क्षमता निर्माण

भार प्रेषण केंद्र (एलडीसी) पावर प्रणाली और विद्युत बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संकाय में लघु निवेश ग्रिड सुरक्षा, विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था, दक्षता और स्थिरता में प्रमुख लाभ प्राप्त करेंगे। 23 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 18वीं बैठक में, राज्य स्तर पर नवीकरण के संबंध में फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए विनियामक फोरम (एफओआर) की तकनीकी समिति का विचार था कि भारत में भार प्रेषण केंद्रों के संस्थागत क्षमता निर्माण को तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य को देखते हुए नए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

इसके पश्चात् एफओआर ने ''भारतीय भार प्रेषण केंद्रों के क्षमता निर्माण'' पर एक अध्ययन करने का निर्णय लिया। व्यापक परामर्श, सर्वेक्षण और अनुसंधान किए गए। अध्ययन रिपोर्ट में एलडीसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरय निर्णय समर्थन प्रणालीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकीय मानव संसाधन

पर्याप्तता और क्षमता निर्माणय राजस्व मॉडल, प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के संबंध में सुझावों की व्यवस्था है। अध्ययन रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप के साथ एलडीसी की फीस और प्रभारों के लिए मॉडल विनियमों की भी व्यवस्था है।

अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

- एलडीसी की संस्थागत क्षमता निर्माण, समस्त (एसएएमएएसटी) के माध्यम से आरईएस के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन के लिए फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर), सहायक सेवाएं, लचीली सेवाओं के मूल्यांकन आदि जैसे विभिन्न विनियामक पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
- यह रिपोर्ट विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और सहयोग का परिणाम है। इसमें उपयुक्त कौशल के साथ पर्याप्त मैन–पॉवर के माध्यम से एलडीसी की वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता पर सिफारिशों के कार्यान्वयन, वास्तविक समय प्रचालन डेस्कों के सशक्तिकरण, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना और संचार प्रणालियों, स्वचालन और निर्णय समर्थन उपकरणों, उपयुक्त कार्य वातावरण, मानव संसाधन निर्माण, एफओएलडी के माध्यम से सहयोगी शिक्षण, एलडीसी सशक्तिकरण रिजर्व के लिए प्रावधान, प्रमाणन रिटेनर–शिप, केपीआई से जुड़े प्रोत्साहनों, बेंचमार्किंग और ईनामी कार्यक्रमों आदि के लिए 365 दिनों के रोड मैप की व्यवस्था है।
- आवश्यक संसाधन उभरते, मध्यम और बृहत् आकार के एलडीसी के लिए अलग–अलग होंगे। अखिल भारतीय स्तर पर, यह 3500–4000 व्यक्तियों और 900–1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की सीमा में होंगे जो कि विद्युत क्षेत्र में कार्यरत संसाधनों के 1% से कम होगा।
- सीईआरसी / एसईआरसी के मौजूदा फीस और प्रभार विनियमों के सर्वोत्तम अभ्यासों के उपयोग द्वारा विकसित एलडीसी फीस और प्रभारों के संबंध में मॉडल विनियम को उपयुक्त आयोगों द्वारा ठीक प्रकार से अपनाया जाना चाहिए।

13 नवंबर, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित अपनी 65वीं बैठक में एफओआर द्वारा अध्ययन द्वारा रिपोर्ट का समर्थन किया गया।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए रिपोर्ट

उत्तर–पूर्वी प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में विकास का पूर्वानुमान लगाने के लिए, गुवाहाटी में आयोजित विनियामक फोरम (एफओआर) की 59वीं बैठक के दौरान, फोरम के सदस्यों और उत्तर–पूर्वी राज्यों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक कार्य दल का गठन किया गया था ताकि वे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और क्षेत्र के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र की सुविधा के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकें।

कार्य दल के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- उत्तर पूर्वी राज्यों के पावर क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करना।
- प्रत्येक राज्य द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों के सुधार के लिए उपाय सुझाना।
- निर्धारित अवधि के भीतर सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करने के लिए एक रोडमैप की सिफारिश करना।

विद्युत अधिशेष / घाटे के परिदृश्य का आकलन करने के लिए सूचना उपलब्धता जैसे विनियामक निष्कर्ष, मुख्य प्रदर्शन सूचकांक (केपीआई), टैरिफ पुनरीक्षण की आवृत्ति, एआरआर मानदंडों का आकलन जैसे कि ओ एंड एम व्यय, विद्युत खरीद लागत, आदिय संबंधित राज्यों की डिस्कॉम की दक्षता जैसे एटी एंड सी हानि प्रतिशत, बिलिंग और संग्रह दक्षता आदि के बाद उनके विद्युत आपूर्ति परिदृश्य डाटा के आधार पर प्रत्येक राज्य का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था।

अध्ययन की सिफारिशों में उत्पादन का कार्यात्मक पृथक्करण, पारेषण और वितरण कारोबार, आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) और प्राप्त की गई प्रति यूनिट औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर को कम करना, डीएसएम विनियमों को जारी करना और कार्यान्वयन, मांग में भावी वृद्धि के लिए एक रोडमैप तैयार करना, सब–स्टेशन और फीडर स्तर पर ऊर्जा ऑडिट, एटी एंड सी हानियों में कमी, क्षेत्र निर्दिष्ट डाटा पोर्टल, उत्तर पूर्व क्षेत्रों के एसएलडीसी का सशक्तिकरण, ज्ञान के आदान–प्रदान और क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र निर्दिष्ट कोर समूह और उत्तर पूर्व क्षेत्र में राज्य विनियामक आयोगों का संस्थागत सशक्तिकरण सम्मिलित थे।

अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिश किए गए वे फॉरवर्ड में यूटिलिटीज की एआरआर / एपीआर प्रक्रिया के दौरान इस रिपोर्ट में विचार–विमर्श किए गए प्रदर्शन मानदंडों की आवधिक मॉनिटरिंग द्वारा प्रदर्शन वृद्धि के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों द्वारा एक निरंतर प्रक्रिया करनाय एसईआरसी और अन्य हितधारकों जैसे उत्तर पूर्व राज्यों में राज्य यूटिलिटीज और राज्य सरकारों द्वारा उदय, उजाला जैसी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन, उत्तर पूर्व राज्य में ग्रिड अनुशासन के कार्यान्वयन के लिए समस्त (एसएएमएएसटी), डीएसएम का कार्यान्वयन और उत्तर पूर्व राज्यों जिसमें कि उत्तर–पूर्व प्रदेश में डिस्कॉम और एसएलडीसी सम्मिलित हो सकते हैं, के बीच विनियामक विकासों / नई खोजों को साझा करने के लिए ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए मंच का निर्माण सम्मिलित है।

13 नवंबर, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित अपनी 65वीं बैठक में एफओआर द्वारा अध्ययन रिपोर्ट का समर्थन किया गया।

भारत में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर पीवी के लिए मीटरिंग विनियम और लेखांकन फ्रेमवर्क

भारत में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर पीवी के लिए मीटरिंग विनियम और लेखांकन फ्रेमवर्क पर रिपोर्ट एफओआर से प्राप्त इनपुटों के साथ वर्ल्ड बैंक–भारतीय स्टेट बैंक ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप फोटोवोल्टिक तकनीकी सहायता कार्यक्रम "सुप्रभा" के अधीन तैयार की गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य हितधारक परामर्श से प्राप्त इनपुटों, अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा और वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क के एएस–आईएस आकलन के विश्लेषण के बाद भारत में ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप फोटोवोल्टिक (जीआरपीवी) के लिए नए मॉडल विनियम के विकास के लिए अंतिम सिफारिशों का प्रस्ताव करना है।

असाइनमेंट के भाग के रूप में, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में जीआरपीवी प्रणाली के परिनियोजन के अंतरराष्ट्रीय अनुभव की भी समीक्षा की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कनाडा से प्रमुख प्रावधान, प्रयोज्यता, कारोबार मॉडल, मीटरिंग सिद्धांत, प्रणाली क्षमता, प्रणाली लोडिंग पर सीमाएं, संचार क्षमता, ग्रिड को निर्यात के मामले में लागू दर और व्यवस्थापन अवधि हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के विपरीत, भारत में वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क स्व–उपभोग पर केंद्रित है और इसलिए मॉडल नेट मीटरिंग विनियम 2013 और राज्य विनियमों ने उपभोक्ता–पक्ष में अनुज्ञेय प्रणाली क्षमता और एकल डीटी क्षमता पर अनुज्ञेय प्रणाली क्षमता के संदर्भ में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ये सीमाएँ राज्यों में भिन्न–भिन्न होती हैं और इन्हें मानकीकरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान विनियम केवल दो कारोबार मॉडलों, केपेक्स और रेस्को, को अनुमति देते हैं, जबकि भारत में जीआरपीवी प्रणालियों के प्रसार में सहायता के लिए भारतीय संदर्भ में अन्य कारोबार मॉडलों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से महत्वपूर्ण सीखों ने सुझाव दिया कि भारत में जीआरपीवी सेगमेंट भी वर्तमान प्रतिबंधों को हटाकर बढ़ सकता है। इनमें उच्चतर प्रणाली क्षमताओं या वितरण ट्रांसफॉर्मर क्षमता को, जहां तक संभव हो सके, प्रणाली प्रचालनों के दृष्टिकोण से पर्याप्त उपायों के साथ अनुमति देनाय विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के विभिन्न कारोबार मॉडल अपनाकर उपभोक्ता पहुँच को बढ़ानाय और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा लेखांकन और पारिश्रमिक वाणिज्यिक व्यवस्थापन सिद्धांत प्रदान करना सम्मिलित हैं।

अध्ययन के माध्यम से पहचाने गए अंतरालों का समाधान करने के लिए मॉडल विनियम में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- स्वीकृत भार और अधिकतम जीआरपीवी क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत क्षमता के संदर्भ में प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन
- जीआरपीवी क्षमता पर विभिन्न सीमाओं, जो डीटी से जुड़ी हो सकती हैं, के मुद्दे को हल करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन
- सौर उत्पादन की आवश्यक वास्तविक–समय मॉनिटरिंग प्रणाली प्रचालनों में सहभागिता के लिए प्रस्तावित परिवर्तन
- प्रस्तावित कारोबार मॉडल और उनका लेखांकन और वाणिज्यिक व्यवस्थापन तंत्र
- नए स्वामियों मौजूदा पीपीए / कनेक्शन करार में लचीलेपन का समाधान करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन
- वर्तमान ऊर्जा लेखांकन और वाणिज्यिक व्यवस्थापन सिद्धांतों में अतिरिक्त उत्पादन के लिए पारिश्रमिक प्रदान करना
- भविष्य में विभिन्न परिदृश्यों की संभावना के कारण परिसर और जीआरपीवी प्रणाली की परिभाषा को समीक्षा की आवश्यकता है
- डिस्कॉम और प्रणाली प्रचालनों को सौर उत्पादन पर अधिकतर दृश्यता प्रदान करने के लिए मीटरिंग और संचार आवश्यकताओं को समीक्षा की आवश्यकता है

13 नवंबर, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित अपनी 65वीं बैठक में एफओआर द्वारा अध्ययन रिपोर्ट का समर्थन किया गया।

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम (एफओआर) के प्रमुख दायित्वों में से एक विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) के कर्मियों का क्षमता निर्माण है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में फोरम द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

21 मई, 2018 को रायपुर में विद्युत विनियामक आयोगों के सचिवों की तीसरी कार्यशाला

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- भारत में उभरते विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक परिदृश्य
- इलेक्ट्रिक वाहन– नीतियां और कार्यान्वयन
- एसईआरसी से संबंधित सेवा मामले

11 से 12 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित की सुरक्षा'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए क्रियाविधि – मॉडल तंत्र

- ग्राहक देखभाल अभ्यासों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
- मानकों और प्रदर्शन का परिचय और बीआरपीएल के बदलाव की कहानी
- विद्युत अधिनियम, 2003 और उपभोक्ता हित की सुरक्षा पर जोर देने के साथ विनियामक उपबंधों को सक्षम करना
- विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं से संबंधित सांविधिक कानून और कुछ ऐतिहासिक न्यायनिर्णय

11 से 13 फरवरी, 2019 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर में 12वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय निम्नलिखित हैं:

- विनियमित क्षेत्र के लिए टैरिफ तैयार करने का अर्थशास्त्र
- रिटर्न की दर विनियम फ्रेमवर्क के अधीन उत्पादन टैरिफ तैयार करना
- पारेषण टैरिफ– प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी)
- वितरण टैरिफ– बहु वर्ष टैरिफ और ट्रूइंग अप
- दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान और विद्युत खरीद नियोजन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क
- प्रदर्शन के मानक – कार्यान्वयन और विनियामक चुनौतियां
- यूटिलिटीज की कारोबार योजना – बहु वर्ष टैरिफ व्यवस्था के अधीन निवेश
- प्रतिपूरक टैरिफ – विधिक और वाणिज्यिक पहलू
- वितरण टैरिफ सेटिंग फ्रेमवर्क – राज्यों के बीच तुलना
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली – अब तक का अनुभव

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर और सेंटर फॉर रेगुलेशन (सीईआर) और एनर्जी एनालिटिक्स लैब (ईएएल) के सहयोग से 13 से 15 मार्च, 2019 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में विद्युत विनियामक आयोगों के आयुक्तों के लिए पहला वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए प्रमुख विषय निम्नानुसार हैं:

- विद्युत क्षेत्र में उभरते विनियामक मुद्दे
- खुदरा प्रतिस्पर्धा के अधीन वितरण नेटवर्क प्रदर्शन प्रबंधन
- ऑस्ट्रेलिया में विद्युत बाजार का विकास – आरई और खुदरा प्रतिस्पर्धा से चुनौतियां
- ऑस्ट्रेलिया में बाजार की मॉनिटरिंग और सहायक सेवाएं
- ऑस्ट्रेलिया में विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक परिदृश्य
- विद्युत बाजारों के भविष्य में पीयर टू पीयर ऊर्जा व्यापार की भूमिका
- उपभोक्ता कल्याण और विनियामक संस्थानों की स्वतंत्रता – आयुक्तों का परिप्रेक्ष्य

3

वर्ष 2018–19 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा इसके लिए सौंपे गए दायित्वों के बारे में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने संज्ञान लेते हुए, विद्युत क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें की।

आयोग ने केविविआ 7 मार्च 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 जारी किया जो टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए लागू है। इन विनियमों में अधिसूचित महत्वपूर्ण उपबंधों में 15.50 प्रतिशत और 16.50 प्रतिशत (पंप स्टोरेज हाइड्रो के लिए) पर इक्विटी पर रिटर्न की रखी गई दर शामिल है। तथापि परियोजनाओं के समय से पूरा होने के लिए 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त रिटर्न समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों की ऊर्जा प्रभार दर की संगणना करते हुए स्टोरेज के दौरान भिन्नता के कारण ''जैसा प्राप्त किया गया'' जीसीवी पर 85 केसीएएल/किलोग्राम की अतिरिक्त भत्ते की अनुमति है।

इन विनियमों में शेष 9 महीने के कम मांग सीजन (अग्रिम में कम से 6 माह में संबंधित आरएलडीसी द्वारा घोषित किए जाने वाले) और 3 माह के उच्च मांग सीजन (सतत या अन्यथा) सहित क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए पीक घण्टे और आफ पीक घण्टे के दौरान विभेदक दर (1.4.2020 से प्रभावी) आरंभ की। क्षमता प्रभारों के माध्यम से थर्मल उत्पादन केन्द्रों की एएफसी वसूली विभेदक दरों सहित पीक घण्टे और आफ पीक घटे में अलग की गई। पीक घण्टे दर आफ पीक घण्टे दर के 1.25 बार रखी गई। एएफसी पर कैप की गई कुल वसूली के साथ दैनिक पीक घण्टे (4 घण्टे) और आफ पीक घण्टे (20 घण्टे) अग्रिम रूप से कम से कम एक सप्ताह में संबंधित आरएलडीसी द्वारा घोषित किया जाएगा।

विनियमों में पीक घण्टों के दौरान एक्स बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 65 पैसे/किलोवाट घण्टे की दर और आफ पीक घण्टों के दौरान एक्स बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 50 पैसे/किलोवाट घण्टा पर विनिर्दिष्ट मानकीय संयंत्र भार घटक से अधिक के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। इसके अलावा हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के मामले में द्वितीयक ऊर्जा भार दर 90 पैसे प्रति किलोवाट घण्टे से 120 पैसे प्रति किलोवाट घण्टे हो गई।

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा मितव्ययी और दक्ष अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना, समन्वय और विकास तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम को अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य उत्पादन केन्द्रों से भार केन्द्रों को विद्युत के सुचारू प्रवाह के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के दक्ष, समन्वित, विश्वसनीय और मितव्ययी प्रणाली की योजना और विकास के लिए अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना है। ये विनियम योजना प्रक्रिया में स्टेकहोल्डरों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने और स्टेकहोल्डर परामर्श एवं सहभागिता के लिए प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने, योजना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करने, उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम के अनुसार विभिन्न संगठनों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करने के लिए भी हैं।

आयोग ने सीईआरसी (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) में पांचवा संशोधन राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर) के कार्यान्वयन के लिए एक समर्थकारी विनियामक फ्रेमवर्क के सृजन के उद्देश्य से अधिसूचित किया। एनओएआर का उद्देश्य एक केन्द्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करना है जिसके माध्यम से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रशासिक होगी। एनओएआर से स्थायी क्लियरेंस के सत्यापन और डेअहेड एवं टर्म अहेड संव्यहवरों की प्रोसेसिंग के लिए पावर एक्सचेंजों से इंटरफेस प्रदान करना अपेक्षित है। इसके अलावा यह विचार किया गया है कि एनओएआर अल्पकालिक संव्यवहारों से संबंधित सभी भुगतानों के लिए भुगतान गेटवे उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय संव्यवहारों को सरल बनाएगा। एनओएआर आवेदन और डेश बोर्ड सुविधा की लेखा परीक्षा उपलबध करवाएगा जिसमें बाजार डिजाइन मूल्यांकन उद्देश्यों और बाजार मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक सूचना का सार बनाया जाएगा। यह सभी विशेषताएं देश के अंतरराज्यिक प्रणाली पारेषण प्रणाली के अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के प्रशासन में कुशल एवं पारदर्शिता में पर्याप्त सुधार के लिए प्रत्याशित हैं।

2014 में अधिसूचित डीएसएम विनियमों में डीएसएम कीमत वेक्टर के पुनरीक्षण की व्यवस्था है। 2014 से विद्युत क्षेत्र में कई उपलब्धियां हुई हैं। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने उभरती बाजार वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए फ्रिक्वेंसी सहित

उनकी लिंकेज को शामिल करते हुए डीएसएम के सिद्धांतों की समीक्षा के लिए और ग्रिड के रक्षित और विश्वसनीय प्रचालन की समीक्षा के लिए फ्रिक्वेंसी के मौजूदा प्रचालन बैण्ड की समीक्षा की आवश्यकता पर विचार किया। तदनुसार आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया। विनियमों के संशोधन में डीएसएम कीमत वेक्टर के लिए संदर्भ फ्रिक्वेंसी बैण्ड (अर्थात 49.85 हर्टज से 50.05 हर्टज तक) के पुनरीक्षण के अलावा पावर एक्सचेंज के डेअहेड मार्केट क्षेत्र में पता लगाई गई दैनिक औसत एरिया क्लियरिंग कीमत में लिंकिंग द्वारा डीएसम वेक्टर (50 हर्टज की कीमत पर) के पुनरीक्षण की व्यवस्था है। संशोधन में 8ध्– रुपये प्रति यूनिट तक की जाने वाली 50.00 हर्टज पर पावर एक्सचेंज के डीएएम क्षेत्र में पता लगाई गई औसत दैनिक एसीपी के लिए अधिकतम सीमा की व्यवस्था है और विनियमित एवं गैर विनियमित इकाइयों की अलग से कैप दरों की संबद्धता भी है। ग्रिड अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण उपाय के लिए परिवर्तित मानदण्ड के लिए गैर अनुपालन के मामले में वित्तीय दण्ड की उगाही के लिए प्रावधान (एक दिशा में सतत विचलन) आरंभ किया गया।

विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत उपबंधों के अनुसार तथा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत के आयात और निर्यात पर मार्गनिर्देशों पर आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बार्डर व्यापार) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया जो भारत तथा पड़ोसी देशों में सहभागी इकाइयों के लिए लागू हैं जो भारत में विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार में लगे हुए हैं। इन विनियमों में यह व्यवस्था है कि भारत तथा पड़ोसी देश (देशों) के बीच विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार की व्यवस्था है। इकाइयों के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम; से या बोली रूट के माध्यम; दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करारों सहित; संबंधित देश (देशों) में प्रचलित विधियों के उपबंधों के अनुरूप भारत तथा पड़ोसी देश (देशों) के बीच हस्ताक्षरित करारों के समूचे फ्रेमवर्क के अधीन पड़ोसी देश (देशों) के इकाई (इकाइयों) तथा भारतीय इकाई (इकाइयों) के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम से अनुमति होगी। तथापि त्रिपक्षीय करारों के माध्यम से भारत में विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार तथा सहभागी इकाइयों के संबंधित पड़ोसी देशों की सरकारों तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों के समूचे फ्रेमवर्क के अधीन अनुमति होगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक, कुल स्थापित क्षमता 356.1 गीगावॉट थी। इसमें से, थर्मल उत्पादन (कोयला, गैस और डीजल सहित), हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्रमशः 63.5%, 12.7% और 21.8% है। आरई क्षमता के 77.6 गीगावॉट में से, पवन ऊर्जा और सौर की क्षमताएं क्रमशः 35.6 गीगावॉट और 28.2 गीगावॉट हैं। शेष क्षमता को लघु हाइड्रो पावर, बायोमास, अपशिष्ट–से–ऊर्जा आदि के बीच शेयर किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 175 गीगावॉट तक बढ़ा दिया है जिसमें 100 गीगावॉट सौर से, 60 गीगावॉट पवन से, 10 गीगावॉट बायोपावर से और 5 गीगावॉट लघु हाइड्रोपावर से शामिल हैं। लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावॉट रूफ–टॉप और बृहत और मध्यम पैमाने के ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 60 गीगावॉट शामिल होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों के लिए और ग्रिड में इसके सुचारु एकीकरण के लिए, आयोग ने इस पर विचार–विमर्श जारी रखा और विद्युत बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के कागजों को बड़े स्तर पर चर्चा आरंभ करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के अस्थिर एवं अनिश्चित होने के कारण, ग्रिड में इसका प्रभावी एकीकरण विद्युत प्रणालियों के सुचारू प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण है, अतः प्रणाली में इसके एकीकरण के लिए तथा बाजार प्रचालन के लिए उचित रूपरेखा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आयोग ने वास्तविक समय के समीप बाजार प्रचालनों में सुधार, केवल अनिरंतर नवीकरणीय ऊर्जा को काम में लाने के लिए नहीं, बल्कि अंतः दिवस समय होरिजन में संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में आगे की कार्रवाई हेतु आवश्यकता महसूस की। बोली लगाने पर भुगतान मॉडल पर आधारित निरंतर व्यापार (अंतः दिवस व्यापार) की वर्तमान प्रणाली अपर्याप्तताओं के कारण कमजोर है और यहां तक कि यूरोप में भी इसके डिजाइन पर पुनर्विचार हो रहा है। अतः भारत में अंतः दिवस बाजार भाग को सुधार के अगले चरण में निरंतर व्यापार से एकरूप मूल्य निर्धारण तंत्र पर आधारित नीलामी की ओर जाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने वास्तविक समय बाजार के आयोजन का प्रस्ताव देते हुए एक प्रस्ताव पेपर प्रकाशित किया। इस प्रकार का तीव्र संव्यवहार/व्यवस्थापन स्वचलन की अपेक्षा करता है, तथा आयोग इस पर पहले से ही कार्यवाई आरंभ कर चुका है (राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों में संशोधन के माध्यम से)।

विचार–विमर्श पेपर में गेट के बंद होने की अवधारणा की शुरुआत का प्रस्ताव है जो कि ऐसा समय बिंदु है जिसके बाद अधिसूची के पुनरीक्षण की कोई अनुमति नहीं है। गेट के बंद होने के बाद, वितरण/व्यवस्थापन अवधि हेतु प्रक्रिया प्रचालन के लिए भौतिक सूचना और संविदा (अधिसूचनाएं) मात्राएं जैसे दूरंदेशी डाटा को बदला नहीं जा सकता तथा प्रक्रिया प्रचालक प्रक्रिया के संतुलन के लिए उत्तरदायित्व संभालता है।

सहायक सेवाएं पावर प्रक्रिया प्रचालन की एक अपरिहार्य भाग हैं जो कि विद्युत प्रक्रिया को सुधारने तथा उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। आयोग ने रिजर्व विनियम सहायक सेवाओं पर विनियम जारी किए हैं जो कि एक साल से अधिक समय से प्रचालन में हैं। रूपरेखा के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर आयोग ने "भारत में सहायक सेवा तंत्र के पुनर्डिजाइन" पर एक प्रस्ताव पेपर प्रकाशित किया, जिसमें तंत्र में डिजाइन

परिवर्तनों का सुझाव देते हुए मौजूदा सहायक सेवा तंत्र में बाधाओं को दूर किया गया है।

प्राथमिक समर्थन प्रकृति में अनिवार्य है तथा सभी उत्पादकों से आवश्यकता पड़ने पर समर्थन प्रदान करने की क्षमता रखने की अपेक्षा है। इसलिए, भारत में उत्पादकों को उनकी स्थापित क्षमता के बाहर अनुसूचीकरण करने से रोका जाता है। द्वितीय नियंत्रण तथा तीव्र तृतीयक वर्तमान में व्यवस्थित तंत्र के अधीन हैं तथा आयोग ने इन खंडों के लिए पायलट अध्ययन का निर्देश दिया है। बाजार तंत्र के लिए पांच मिनट की मीटरिंग तथा अनुसूचीकरण इस तंत्र की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक अवस्था है। इस प्रकार, ये दोनों खंड अर्थात् द्वितीय नियंत्रण तथा तीव्र तृतीयक पायलट अध्ययन से अनुभव प्राप्त करने पर बाजार पद्धति के लिए खुले में होंगे और आयोग इन दोनों सहायक समर्थन सेवाओं के लिए बाजारों के प्रवेश हेतु भविष्य में एक तारीख अधिसूचित कर सकते हैं।

इस पेपर में, बाजार आधारित तंत्र तृतीयक सहायक सेवा खंड के लिए आरंभ किया गया है। इस खंड में धीमा चक्रण रिजर्व (जो कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र क्षेत्र, जो कि पहले से ही पावर प्रणाली के साथ समक्रमिक हैं तथा 15 मिनटों/30 मिनटों के अंदर उत्पादन स्तर परिवर्तित करने के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अनुदेशों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, के अदंर स्थित योग्य उत्पादकों द्वारा प्रदान किया गया है) तथा धीमा गैर–समक्रमिक रिजर्व (जो कि उत्पादकों/भंडारण प्रणालियों से प्राप्त हैं जो कि ग्रिड के साथ समक्रमिक नहीं हैं परंतु 15 मिनटों 30 मिनटों के अंदर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अनुदेशों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं)।

रिजर्व आवश्यकताएं सीजन के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं (प्रत्येक माह और/अथवा पीक तथा पीक–ऑफ दशाओं के लिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों/पोसोको द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है (पारेषण संकुलन द्वारा पृथक किए गए)।

भारत में विद्युत बाजार एक लंबी अवधि परिधि में करार करते हुए अबाध क्रम में अनुसूचीकरण तथा डे–अहेड में प्रेषण तथा वास्तविक समय आधार पर कार्य करता है। बाजार का अनुभवों तथा पावर प्रणाली प्रचालन ने उत्पादन की अनुसूचीकरण और प्रेषण के और अधिकतम उपयोग के लिए संभवता को उभारा है।

तदनुसार, बाजार डिजाइन में सुधारों के अनुसार और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई जो कि अनुसूचीकरण के बेहतर उपयोग तथा उत्पादन क्षमताओं के आर्थिक प्रेषण के लिए व्यवस्था करता है। इस पृष्ठभूमि में, बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण पर एक प्रस्ताव पेपर प्रस्तावित किया गया था जो कि डे–अहेड समय परिधि तथा अनुसूचीकरण पर विद्युत बाजार के कार्य पर विचार–विमर्श तथा तकनीकी बाध्यताओं के अधीन आर्थिक सिद्धांतों पर पूरी तरह से कुल उत्पादन का प्रेषण प्रदान करता है।

बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण का उद्देश्य ग्रिड की सुरक्षा को बनाए रखने के साथ–साथ कम–लागत उत्पादन मिश्रण के प्रेषण द्वारा प्रणाली भार को प्राप्त करना है। यह सुनिश्चित करता है कि एक दिवस के लिए सभी समय–ब्लॉकों में प्रणाली भार प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कुल लागत अर्थात् प्रणाली लागत कम से कम हो। भारत में वर्तमान बाजार रूपरेखा को देखते हुए प्रस्तावित बाजार डिजाइन, प्रणाली प्रचालक तथा बाजार प्रचालक को पृथक रूप से शामिल करते हुए यह ध्यान रखता है कि वर्तमान में ये दोनों संस्थाएं अपने संबंधित कार्य करते हैं। प्रणाली प्रचालन विद्युत के भौतिक व्यवस्थापन को संभालता है जबकि बाजार प्रचालनों में बोली अनुरोध तथा सभी वित्तीय व्यवस्थापन सम्मिलित हैं। बाजार प्लेटफॉर्म एक दिवस में प्रत्येक समय–ब्लॉक में बाजार क्लियरिंग कीमत का पता लगाता है जो कि प्रेषित विद्युत के सही मूल्य को दर्शाता है।

असम विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एईआरसी (विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2018
- एईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन), विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए ट्रू अप, 2018–19 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ – एपीजीसीएल के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए ट्रू अप, 2018–19 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ – एईजीसीएल के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए ट्रू अप, 2018–19 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ – एपीडीसीएल के लिए टैरिफ आदेश

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए एपीईआरसी निबंधन और शर्तों में प्रथम संशोधन – 2005 का विनियम संख्या 5
- एपीईआरसी – प्रतिभूति जमा के लिए दूसरा संशोधन – 2004 का विनियम संख्या 6

- एपीईआरसी – विद्युत आपूर्ति कोड में तीसरा संशोधन – 2004 का विनियम संख्या 5
- निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन कोड में चौथा संशोधन 2006 का विनियम संख्या 2

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- एपीएसपीडीसीएल और एपीईपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ आदेश
- ऐपट्रांस्को के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की चौथी नियंत्रण अवधि के लिए पारेषण टैरिफों के लिए आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की चौथी नियंत्रण अवधि के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वार्षिक फीस और प्रचालन प्रभार

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- बहु वर्ष टैरिफ विनियम –2018
- उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल विनियम (प्रथम संशोधन) –2018
- स्टाफ की सेवा शर्तें विनियम, 2018
- राज्य ग्रिड कोड विनियम, 2018
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- विद्युत विभाग – अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए खुदरा टैरिफ पर आदेश और वित्तीय वर्ष 2016–17 के एआरआर का ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के एआरआर की समीक्षा
- हाइड्रो पावर विकास विभाग – अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- निवल और सकल मीटरिंग विनियम, 2018 के आधार पर रूफटॉप सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली
- अनुपालन विनियम, 2018 की लेखापरीक्षा
- विद्युत खरीद और अनुज्ञप्तिधारी की खरीद प्रक्रिया विनियम, 2018
- जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कैप्टिव उत्पादनकारी संयंत्र से विद्युत की बैंकिंग विनियम, 2018
- विद्युत विनियामक लेखांकन विनियम, 2018
- वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रभारों का अवधारण विनियम, 2018
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें विनियम 2018 में प्रथम संशोधन
- पूंजी निवेश और पूंजीकरण योजना दाखिल करने की प्रक्रिया विनियम, 2018
- अंतर–राज्यिक निर्बाध पहुंच विनियम, 2018 के निबंधन और शर्तें
- बहु वर्ष पारेषण पारेषण टैरिफ और एसएलडीसी प्रभार विनियम, 2018
- बहु वर्ष वितरण टैरिफ विनियम, 2018
- नवीकरणीय खरीद बाध्यता, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018
- विद्युत दुर्घटना विनियम, 2018 के पीड़ितों को मुआवजा

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- एसबीपीडीसीएल के लिए टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2019–20
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एनबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल) का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बिहार राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) का टैरिफ आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गया

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति कोड (दूसरा संशोधन), 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल और एसएलडीसी के लिए सीएसईआरसी टैरिफ आदेश

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वितरण अनुज्ञप्तिधारियों टीपीडीडीएल, बीएसईएस–यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस–राजधानी पावर लिमिटेड और एनडीएमसी–नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश
- डीटीएल – दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, आईपीजीसीएल – इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और पीपीसीएल – प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (बहु वर्ष टैरिफ) (दूसरा विनियम), 2018
- जीईआरसी (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले) विनियम, 2019
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफ आदेश
- एमयूपीएल के लिए टैरिफ आदेश
- टीपीएल – डी (दहेज) के लिए टैरिफ आदेश
- एसएलडीसी के लिए टैरिफ आदेश
- गेटको के लिए टैरिफ आदेश
- जीएसईसीएल के लिए टैरिफ आदेश
- टीपीएल (उत्पादन) के लिए टैरिफ आदेश
- टीपीएल – वितरण (अहमदाबाद) के लिए टैरिफ आदेश
- टीपीएल – वितरण (सूरत) के लिए टैरिफ आदेश

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया गया

- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता अधिवक्ता) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक (मध्य–वर्ष) प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 201–20–20 के लिए यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल और वितरण और खुदरा आपूर्ति शुल्क की सकल राजस्व आवश्यकता के संबंध में आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पारेषण टैरिफ और एसएलडीसी प्रभारों, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप के संबंध में आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मध्य–वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–20 के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के संबंध में आदेश

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एचपीईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019
- एचपीईआरसी (नेट नेटिंग पर आधारित रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (नेट नेटिंग पर आधारित रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) आदेश, 2019
- एचपीईआरसी (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस और प्रभारों की उगाही और संकलन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2018
- एचपीईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (हाइड्रो उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018

- एचपीईआरसी (व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (अल्पकालिक निर्बाध पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- तीसरी बहु वर्ष टैरिफ अवधि (वित्तीय वर्ष 2015–19) और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए ट्रू अप के लिए चौथा एपीआर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सौर पीवी परियोजनाओं के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफों का अवधारण
- आरईसी तंत्र के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए औसत पूल्ड विद्युत खरीद लागत (एपीपीसी) का अवधारण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया गया

- जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (दसवां संशोधन) विनियम, 2018
- मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु वर्ष टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2019
- मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2019
- मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू अप आदेश वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समीक्षा और मिजोरम सरकार के पावर और विद्युत विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का अवधारण
- मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का अवधारण
- मणिपुर राज्य राज्य कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का अवधारण

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- जेएसईआरसी (समानांतर अनुज्ञप्तिधारियों का प्रचालन) विनियम, 2019
- रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियां और निवल / सकल मीटरिंग (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 निवल सकल टैरिफ स्वीकृत
- जेएसईआरसी (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा) विनियम, 2018
- विद्युत आपूर्ति कोड (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप आदेश, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर और टैरिफ के संबंध में आदेश
- झारखंड उर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 (06 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014) के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रू–अप के संबंध में आदेश।
- झारखंड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की नियंत्रण अवधि (6 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014, वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए ट्रू अप सहित) कारोबार का अनुमोदन और एआरआर का अवधारण के संबंध में आदेश
- जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जेयूएससीओ) के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का अवधारण के संबंध में आदेश
- झारखंड के डीवीसी कमांड क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू–अप और वित्तीय वर्ष 2016–17

से वित्तीय वर्ष 2020–21 की बहु वर्ष अवधि के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में आदेश

- झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और टैरिफ के अवधारण के संबंध में आदेश

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए

- केईआरसी, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद विनियम, 2018 में छठा संशोधन
- कर्नाटक राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत की आपूर्ति की शर्तों में 7वां संशोधन 2018
- कर्नाटक राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत की आपूर्ति की शर्तों में 8वां संशोधन 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में बीईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में एचईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में एमईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में जीईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क का पुनरीक्षण के संबंध में सीईएससी के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2019 के लिए पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ के संबंध में केपीटीसीएल के लिए टैरिफ आदेश

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2018
- केएसईआरसी (कारोबार का संचालन) दूसरा संशोधन विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मैसर्स केएसईबी लिमिटेड के खातों का ट्रूइंग अप
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स केएसईबी लिमिटेड के खातों का ट्रूइंग अप

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (सौर और पवन उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन) विनियम, 2018
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2015–16, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए एआरआर की पुनरीक्षित अनुमानों और टैरिफ के अवधारण के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (उत्पादन कारोबार) की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए एआरआर की पुनरीक्षित अनुमानों के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (पारेषण कारोबार) की याचिका

- वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एआरआर का ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और टैरिफ के अवधारण के लिए आरइंफ्रा–जेनेरेशन की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर की ट्रूइंग अप सहित तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए बहु वर्ष टैरिफ मध्यकालिक समीक्षा याचिका के अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनंतिम ट्रूइंग अप वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित एआरआर के अनुमोदन के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (पारेषण कारोबार) की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रचालनों की लागत के बजट के ट्रूंग–अप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रूइंग–अप और वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए फीस और प्रभारों के एआरआर पूर्वानुमान और अवधारण के लिए महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अस्वीकृत पूंजीकरण सहित, वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के ट्रूइंग–अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रूइंग–अप और वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर के पुनरीक्षित अनुमान लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड की याचिका

मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइन या संयंत्र प्रदान करने के लिए खर्चों और अन्य प्रभारों की वसूली) (संशोधन – I) विनियम, 2009 का छठा संशोधन
- एमपीईआरसी (विद्युत की आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें और प्रभारों के अवधारण के लिए पद्धतियां और सिद्धांत) विनियम, 2015 का पहला संशोधन
- एमपीईआरसी (पवन और सौर उत्पादनकारी स्टेशनों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- एमपीपीएमसीएल, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. (पूर्व डिस्कॉम), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. (केन्द्रीय डिस्कॉम) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्कॉम) द्वारा संयुक्त रूप से दायर ट्रू–अप याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता के ट्रू–अप का अवधारण।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) जबलपुर द्वारा फीस और प्रभारों की उगाही और संकलन
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रू अप

मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018
- मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विचलन, व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2018
- मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सौर और पवन उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन) विनियम, 2018
- मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम, 2018
- मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमईपीडीसीएल)के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका
- मेघालय विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (एमईपीटीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण की मंजूरी के लिए याचिका
- मेघालय विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की नियंत्रण अवधि के लिए बहु वर्ष टैरिफ एआरआर की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश के लिए याचिका
- वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की नियंत्रण अवधि के लिए बहु वर्ष टैरिफ एआरआर की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उत्पादन टैरिफ आदेश के लिए याचिका

नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गया

- कारोबार का संचालन (पहला संशोधन) 2018

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के लिए वार्षिक फीस और प्रचालन प्रभार
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और पारेषण टैरिफ का अवधारण (मैसर्स ओपीटीसीएल)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मैसर्स ग्रीडको)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मैसर्स ओपीजीसी)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मैसर्स ओएचपीसी)

पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- राज्य ग्रिड कोड (प्रथम संशोधन)
- विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले (चौथा संशोधन)
- विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले (पांचवां संशोधन)
- कैप्टिव विद्युत उत्पादन का उपयोग (1 संशोधन)
- अंतः राज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें (आठवां संशोधन)
- नवीकरणीय खरीद बाध्यता और उसका अनुपालन, दूसरा संशोधन
- आपूर्ति कोड समीक्षा पैनल
- पीएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 (दूसरा संशोधन)
- सौर और पवन उत्पादन स्रोतों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले, विनियम 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- टैरिफ आदेश पीएसपीसीएल 2018–19
- टैरिफ आदेश पीएसटीसीएल 2018–19

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- आरईआरसी (सेवा) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019
- आरईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019
- ईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों – बायोमास, बायोगैस और बायोमास गैसीफायर ऊर्जा के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019
- आरईआरसी (रूफटॉप और लघु सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियों के लिए संयोजकता और नेट मीटरिंग) (पहला संशोधन) विनियम, 2019
- आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय खरीद बाध्यता अनुपालन ढांचा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019
- आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019
- आरईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत खरीद और खरीद प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019
- आरईआरसी (फीस) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- आरवीपीएन के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निवेश योजना की स्वीकृति और पारेषण और एसएलडीसी प्रभारों की वसूली के लिए और एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एआरआर का ट्रू अप
- आरवीयूएन, आरडब्ल्यूपीएल, बीएलएमसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अंतरिम टैरिफ
- आरडब्ल्यूपीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण
- आरवीयूएन के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एआरआर के ट्रू–अप को मंजूरी
- जेवीवीएमएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अतिरिक्त निवेश योजना को मंजूरी
- एवीवीएनएल और जेवीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत खरीद की पूल्ड लागत का अवधारण

सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एसएसईआरसी (कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2018
- एसएसईआरसी (पवन और सौर उत्पादन स्रोतों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले) नियम, 2018

त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गया

- विद्युत गुणवत्ता विनियम, 2019

तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- कारोबार का संचालन विनियम संशोधन
- पवन और सौर उत्पादन विनियमों के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले
- विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले विनियम 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- पवन ऊर्जा और सहबद्ध मामलों के लिए सामान्य टैरिफ के संबंध में आदेश
- टैंगेडको द्वारा देय विद्युत खरीद की पूल्ड लागत के संबंध में आदेश
- वर्ष 2018–19 के लिए उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा पर ब्याज
- सौर ऊर्जा और संबंधित मामलों के लिए सामान्य टैरिफ के संबंध में आदेश
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए व्यापक टैरिफ आदेश

तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- 2019 के विनियम संख्या 1 (उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तें) के संबंध में विनियम
- 2018 के विनियम संख्या 4 (राज्य विद्युत ग्रिड कोड) के संबंध में विनियमन
- 2018 के विनियम संख्या 3 (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले) के संबंध में विनियम
- नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता (आरपीपीओ) बाध्यता संस्थाओं के संबंध में विनियम
- विनियम, 2018 (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र की स्थापना के संबंध में विनियम में प्रथम संशोधन) के संबंध में विनियम

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में संशोधन
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार आदेश में संशोधन

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- संशोधन संख्या 13 – उ. प्र. विद्युत आपूर्ति कोड, 2005
- एबीटी (सौर और पवन) विनियम 2018 (पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले)
- यूपीईआरसी (रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली ग्रॉस दृ नेट मीटरिंग) विनियम, 2019 (आरएसपीवी विनियम, 2019)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- यूपीपीटीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर के ट्रू अप के संबंध में आदेश
- राज्य डिस्कॉम (डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, केस्को के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ के संबंध मे टैरिफ आदेश
- एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर / टैरिफ के संबंध में टैरिफ आदेश
- इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए टैरिफ के संबंध में आदेश

उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- यूईआरसी (सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा पालन की जाने वाली क्रियाविधि) विनियम, 2019

- उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (बहु वर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2018, संक्षेप में, यूईआरसी टैरिफ विनियम, 2018
- यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादकारी स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) विनियम, 2018
- उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018
- उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (वितरण कोड) विनियम, 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर के संबंध में आदेश
- पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर के संबंध में आदेश
- यूपीवीसी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक नियत प्रभार के संबंध में आदेश
- स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ऑफ उत्तराखंड के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पुनरीक्षित एआरआर के संबंध में आदेश

पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए :

- वर्ष 2017 – 2018 के लिए डब्ल्यूबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2017 – 2018 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2017 – 2018 के लिए डब्ल्यूबीएसईटीसीएल का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2017 – 2018 के लिए सीईएससी लिमिटेड का टैरिफ आदेश

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में स्थिति

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध – I)
2. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (अनुबंध – II)
3. 31 मार्च, 2019 के अनुसार ऐपटेल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के कार्य (अनुबंध – III)

5 एसईआरसी के अध्यक्ष की सूची

विनियामक मंच के सदस्य [एफ ओ आर] (31–03–2019 की स्थिति)		
विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
01.	श्री पी– के– पुजारी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)
विनियामक फोरम के सदस्य		
02.	श्री जी भवानी प्रसाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	आंध्र विद्युत विनियामक आयोग (APERC)
03.	श्री आर.पी. सिंह	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (APSERC)
04.	श्री सुभाष चंद्र दास	असम विद्युत विनियामक आयोग (AERC)
05.	श्री एस के नेगी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC)
06.	श्री डी.एस. मिश्रा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (CSERC)
07.	श्री सत्येंद्र सिंह चौहान (सेवानिवृत्त)	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC)
08.	श्री आनंद कुमार	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (GERC)
09.	श्री जगजीत सिंह	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC)
10.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (HPERC)
11.	–––	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (J&KSERC)
12.	डॉ. अरबिन्द प्रसाद	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC)
13.	श्री एम.के. गोयल	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग –गोवा एवं संघशासित प्रदेश
14.	श्री लालचरलियाणा पाचुआ	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग –मणिपुर एवं मिजोरम
15.	श्री शंभु दयाल मीणा	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (KERC)

विनियामक मंच के सदस्य [एफ ओ आर] (31–03–2019 की स्थिति)		
विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
16.	श्री प्रेमनदिनरज	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (KSERC)
17.	श्री देव राज बिर्डी	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (MPERC)
18.	श्री आनंद बी कुलकर्णी	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC)
19.	–––	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (MSERC)
20.	श्री इमलीकुमजुक एओ	नगालैंड विद्युत विनियामक आयोग (NERC)
21.	श्री यू.एन. बेहरा	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (OERC)
22.	श्री कुसुमजीत सिद्धू	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (PSERC)
23.	श्री श्रीमत पांडे	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC)
24.	श्री नंदा राम भट्टराई	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SSERC)
25.	श्री एस अक्षय कुमार	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (TNERC)
26.	–––	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (TSERC)
27.	–––	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (TERC)
28.	श्री राज प्रताप सिंह	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (UPERC)
29.	श्री सुभाष कुमार	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC)
30.	श्री सुतीर्थ भट्टाचार्यपश्चिम	बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (WBERC)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

हमने 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया हैः

क) 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एमबीआर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
(मुकेश शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 511275

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ**8047**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि– रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	37,010,643	37,010,643
रिजर्व एवं अधिशेष	2	40,879,828	39,600,634
निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	3	–	202,724
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	8,852,422	12,823,644
कुल		**86,742,893**	**89,637,645**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	38,749	55,378
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	86,704,144	89,582,267
कुल		**86,742,893**	**89,637,645**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं खाते पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि– रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
फीस/अंशदान	7	17,400,000	18,000,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	2,510,339	4,256,879
अर्जित ब्याज	8	4,990,595	4,511,852
अन्य आय	9	–	–
कुल (क)		**24,900,934**	**26,768,731**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	–	–
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	13,996,608	19,764,668
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		1,802,255	1,632,646
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		708,084	2,624,233
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		16,629	34,251
पूर्व अवधि व्यय		–	12,229
कुल (ख)		**16,523,576**	**24,068,027**
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क–ख)		8,377,358	2,700,704
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		2,424,414	641,391
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		4,673,750	–
सामान्य रिजर्व कोध्से अंतरण		1,279,194	2,059,313
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		–	–
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12	–	–
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 1 – कोरपस/पूंजीगत निधि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		37,010,643		37,010,643
जोडें: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	–		–	
जोड़/(घटा): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष		**37,010,643**		**37,010,643**

अनुसूची 2 –रिजर्व एवं अधिशेष:	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
1. रिजर्व पूंजी:				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
2. पूनर्मूल्यन रिजर्व:				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
3. विशेष रिजर्व:				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
4. सामान्य रिजर्व:				
अंतिम खाते के अनुसार	39,600,634		37,541,322	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,279,194		2,059,313	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	40,879,828	–	39,600,634
कुल		**40,879,828**		**39,600,634**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 3 – निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	निधि–वार विवरण				जोड़		
	योजना निधि		एमएनआरई निधि		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष
क) निधियों का आरंभिक शेष		**202,724**		–		202,724	1,812,648
ख) निधियों में परिवर्धनः							
i. दान/अनुदान	**4,800,000**				4,800,000		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	**58,221**	**4,858,221**			58,221		
iii. राज्य ऐजेंसियों से प्राप्त रिफंड			–	–	–	4,858,221	4,446,085
कुल (क+ख)		5,060,945		–		5,060,945	6,258,733
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय							
i. पूंजीगत व्यय							
– नियत आस्तियां	–		–				
– अन्य	–	–	–	–		–	–
कुल (i)		–		–		–	–
ii. राजस्व व्यय							
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	–				–		
– किराया	–				–		
– अन्य प्रशासनिक खर्चे	**2,510,339**	**2,510,339**			2,510,339	2,510,339	4,256,879
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		**2,550,606**	–	–		2,550,606	1,799,130
कुल (ii+iii)		**5,060,945**		–		5,060,945	6,056,009
कुल (ग) = (i + ii + iii)		**5,060,945**		–		5,060,945	6,056,009
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)		**0**		–		0	202,724

नोट

1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किए जाएंगे।
2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 4 – चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		–		–
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	–		–	
ख) अन्य	–	–	–	–
3. प्राप्त अग्रिम		–		–
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याजः				
क) जमानती ऋण/उधार	–		–	
ख) गैर–जमानती ऋण/उधार	–	–	–	–
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	–		–	
ख) अन्य	–	–	–	–
6. अन्य चालू देयताएं		–		–
कुल (क)		–		–
ख – प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष (वा.व. 2016–17 के लिए जुर्माने सहित)	4,695,607		3,374,018	
(ii) चालू वर्ष	2,424,414		641,391	
		7,120,021		4,015,409
2. ग्रेचुअटी		–		–
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		–		–
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		–		–
5. व्यापार वारंटियां/दावे		–		–
6. अन्यः				
(i) प्रतिदेय सचिवालय व्यय	–		5,166,110	
(ii) प्रतिदेय विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	1,270		1,316	
(iii) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	29,800		22,000	
(iv) प्रतिदेय कैंटीन व्यय	–		3,302	
(v) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	193,260		633,924	
(vi) प्रतिदेय मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	293,271		–	
(vii) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	18,949		37,591	
(viii) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	436,515		240,230	
(ix) देय अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	–		1,034,161	
(x) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय	554,940		–	
(xi) देय प्रशिक्षण व्यय (योजना निधि)	–		1,565,446	
(xii) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	3,941		4,720	
(xiii) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	113,912		98,665	
(xiv) सीजीएसटीएसजीएसटीआईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस	65,366		–	
(xv) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	7,677		770	
(xvi) प्रतिदेय वेबसाइट व्यय	13,500	1,732,401	–	8,808,235
कुल (ख)		**8,852,422**		**12,823,644**
कुल (क)+(ख)		**8,852,422**		**12,823,644**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ**8047**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 5 – अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमिरू											
क) पूर्ण स्वामित्व	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भवनः											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) स्वामित्व वाले फ्लैटध्परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	**52,023**	–	–	**52,023**	**25,767**	**3,938**	–	–	**29,705**	22,318	26,256
4. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर, फिक्सचर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. कार्यालय उपस्कर	**25,840**	–	–	**25,840**	**15,213**	**1,594**	–	–	**16,807**	9,033	10,627
7. कंप्यूटरध्सहायक उपकरण	683,783	–	–	683,783	665,288	**11,097**	–	–	**676,385**	7,398	18,495
8. विद्युत अधिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य नियत आस्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का कुल	761,646	–	–	761,646	706,268	**16,629**	–	–	**722,897**	38,749	55,378
पूर्ववर्ती वर्ष	798,272	–	36,626	761,646	708,643	34,251	–	36,626	706,268	55,378	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन										–	–
कुल										**38,749**	**55,378**

उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	–		–	
ख) खुले औजार	–		–	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	–		–	
अर्धनिर्मित उत्पादन	–		–	
कच्चा माल	–	–	–	–
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	18,200		18,200	
घटाए: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	(18,200)			
ख) अन्य	601,370	601,370	336,058	354,258
3. हाथ में नकदी शेष (चौक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		24		24
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
– चालू खातों पर	–		–	
– जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	37,010,643		37,010,643	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा	42,034,209		43,404,839	
– बचत खातों पर				
(i) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 000068)	–		–	
(ii) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 1708 – विद्युत मंत्रालय)	12,000	79,056,852	2,869,530	83,285,012
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ:				
चालू खातों पर	–		–	
जमा खातों पर	–		–	
बचत खातों पर	–	–	–	–
5. डाकघर बचत खाते		–		–
कुल (क)		**79,658,246**		**83,639,294**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी....)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख – ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	–		–	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	–		–	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :				
क) पूंजीगत लेखा पर	–		–	
ख) पूर्व भुगतान	–		–	
ग) अन्य				
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)			3,000	
पूर्ववर्ती वर्ष	3,000			
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)			3,333,805	
पूर्ववर्ती वर्ष	2,807,617			
चालू वर्ष	498,932			
(iii) आत्म मूल्यांकन करः			963,614	
पूर्ववर्ती वर्ष	207,648			
(iv) प्राप्य सदस्यता शुल्क	–		906,000	
(v) जीएसटी (इनपुट) :			530,345	
चालू वर्ष	1,285,965			
जोड़ें: अग्रिम करः			–	
चालू वर्ष	**1,718,000**			
जोड़ें: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):			–	
चालू वर्ष	108,000			
जोड़ें: प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएसः				
चालू वर्ष	60,000	6,689,162	–	5,736,764
3. प्रोद्भूत आयः				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	–		–	
ख) निवेशों पर – अन्य	356,736		206,209	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	–		–	
घ) अन्य (रु. की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	–		–	
		356,736		**206,209**
4. प्राप्तियोग्य दावे		–		–
कुल (ख)		**7,045,898**		**5,942,973**
कुल (क+ख)		**86,704,144**		**89,582,267**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचिया

(राशि– रु. में)

अनुसूची –7– शुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	–	–
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	17,400,000	18,000,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	–	–
4) परामर्शकारी शुल्क	–	–
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) आरटीआई शुल्क	–	–
कुल	**17,400,000**	**18,000,000**
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ**8047**

31 मार्च, 2019 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –8– अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में टीडीएस – रु. 4,98,932/–)	4,989,311	4,403,947
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) संस्थानों में	–	–
घ) अन्य	–	–
2. बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में	1,284	107,905
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) डाकघर बचत खाते	–	–
घ) अन्य	–	–
3. ऋणों पर :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	–	–
ख) अन्य	–	–
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	–	–
कुल	**4,990,595**	**4,511,852**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –9– अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां	–	–
ख) अनुदानों से प्राप्त की गई परिसंपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	–	–
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	–	–
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	–	–
4) विविध आय	–	–
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	–	–
कुल	–	–

अनुसूची –10– स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	–	–
ख) भत्ते एवं बोनस	–	–
ग) भविष्य निधि में अंशदान	–	–
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	–	–
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	–	–
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	–	–
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च, 2019 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –11– अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	–	–
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	2,701,722	2,397,862
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	–	–
घ) विद्युत एवं शक्ति	–	–
ङ) जल प्रभार	–	–
च) बीमा	–	–
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	–	–
ज) उत्पाद शुल्क	–	–
झ) किराया, दरें एवं कर	–	–
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	–	–
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	26,937	47,053
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	296,796	54,460
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	37,557	16,420
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	1,991,018	2,225,463
ण) अभिदान व्यय	–	–
त) फीस पर व्यय	–	–
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	32,000	22,000
द) आतिथ्य व्यय	–	–
ध) व्यावसायिक प्रभार	2,602,531	3,511,679
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	18,200	–
प) अपलिखित अशोध्य शेष	–	–
फ) पैकिंग प्रभार	–	–
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	–	–
भ) वितरण व्यय	–	–
म) विज्ञापन एवं प्रचार	64,294	279,975
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	6,166,000	5,922,820
कक) सचिवीय व्यय	–	5,166,110
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) अन्य व्यय (अतिरिक्त प्रावधान अपलिखित का निवल)	11,691	23,890
ii) वेबसाइट व्यय	27,000	–
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	20,862	96,936
कुल	**139,96,608**	**197,64,668**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि– रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2018–19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18	भुगतान	चालू वर्ष 2018–19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18
1. आरंभिक शेषः			**1. निम्नलिखित को रिलीजः**		
(क) नकद शेष	**23.75**	9,060.00	भारत सरकार – एमएनआरई से अनुदान	–	807,459.00
			भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	**2,550,606.00**	991,671.00
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाताः					
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता	**43,404,839.27**	40,797,798.70			
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता (योजना निधि)	**2,869,530.17**	1,448,079.90			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	**37,010,642.73**	37,010,642.73			
2. निम्नलिखित से रिलीजः			**2. व्ययः**		
भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	**4,800,000.00**	3,943,000.00	**(क) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय**	**1,966,365.00**	2,205,992.25
			(ख) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	2,072,618.00	3,201,858.00
			(ग) क्षमता निर्माण एवं परामर्शः		
			– फोरम की निधि	–	5,922,820.00
			– योजना निधि	4,075,700.50	1,589,282.00
			(घ) प्रशासनिक व्ययः		
			– विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	63,024.00	278,659.00
			– बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	–	91.45
			– बैंक प्रभार (योजना निधि)	**82.60**	790.73
			– श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**2,505,199.00**	2,143,393.00
			– विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	–	5,167.00
			– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	**3,525.00**	54,460.00
			– व्यावसायिक प्रभार	**24,397.00**	–
			– टैलीफोन व्यय	**19,260.00**	46,283.00
			– यात्रा व्यय	**37,557.00**	28,649.00
			– वेबसाइट व्यय	**13,500.00**	–
			– अन्य व्यय :		
			– कैंटीन व्यय	21,528.00	39,123.00

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2018–19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18	भुगतान	चालू वर्ष 2018–19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18
			– ई–टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	**200.00**	–
			– टीडीएस एवं आईटी के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज	**20,872.00**	179.00
			– वसूली–योग्य ब्याज पर टीडीएस	**6.00**	–
			– कार्यालय व्यय/लेखापरीक्षा व्यय	**1,074.00**	**1,132.00**
3. आयोग की प्राप्तियां			**3. (i) स्टाफ को अग्रिम**		
			(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	16,800,000.00	17,310,000.00			
			(ii) समायोजन/विप्रेषण/देयः		
(ख) फ्लेक्सी जमाध्सावधि जमा रसीद से ब्याजः					
– फोरम की निधि	2,329,664.00	2,054,338.02	(क) प्रशासनिक व्यय	5,166,110.00	2,137,950.00
– कोरपस निधि	2,469,442.00	2,541,676.00	(ख) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	1,316.00	3,654.00
			(ग) लेखा परीक्षा फीस	22,000.00	22,000.00
			(घ) कैंटीन व्यय	3,302.00	3,780.00
			(ङ) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय (दायित्व का निवल)	631,833.00	372,505.00
			(च) व्यवसायिक प्रभार	37,591.00	4,238.00
(ग) बचत खातों से ब्याजः			(छ) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	240,230.00	338,113.00
– फोरम की निधि	1,284.00	107,905.00	(ज) वेतन	–	49,846.00
– योजना निधि	58,221.00	60,194.00	(झ) टेलीफोन व्यय	770.00	2,857.00
			(ञ) प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	5,549,400.00	–
			(ट) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (योजना निधि) से ब्याज	–	–
			(ठ) आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस, जीएसटी एवं आत्म मूल्यांकन कर पर टीडीएस)	2,444,948.00	1,478,035.00
			(ड) जीएसटी (आउटपुट)	3,132,000.00	3,205,730.00
			(ढ) जीएसटी (इनपुट)	1,517,938.00	559,983.00
			(ण) अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि)	–	60,375.00
			(त) अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	1,034,161.00	–
			(थ) अन्य प्राप्ति (केविविआ)	–	20,250.00
			(द) संविदा एवं व्यावसायिक फीस पर टीडीएस (निवल)	103,385.00	–
			(iii) अन्यः		

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2018–19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18	भुगतान	चालू वर्ष 2018–19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017–18
			(क) आयकर मांग (वा.व. 2016–17)	2,503,750.00	–
			(ख) लेखापरीक्षा अग्रिम (प्राप्ति का निवल)	–	8,931.00
			(ग) बैठक के लिए अग्रिम	**151,500.00**	**271,500.00**
4. जमा प्राप्तियां:			**4. नियत आस्तियों पर व्ययः**		
सुरक्षा जमा राशि (मुद्रण एवं स्टेशनरी)			(क) कंप्यूटर	–	–
			(ख) प्रिंटर	–	–
5. विप्रेषण प्राप्तियां			**5. अंतिम शेषः**		
आरईसी रूपरेखा का कार्यान्वयन – एमएनआरई निधि	–	442,891.00	**(क) नकद शेष**	23.75	23.75
(राज्य एजेंसियों से अव्ययित वित्तीय सहायता का प्रतिदान)			**(ख) बैंक शेष**		
			(i) बचत खाताः		
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	42,034,209.27	43,404,839.27
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता (योजना निधि)	12,000.07	2,869,530.17
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	37,010,642.73	37,010,642.73
6. अन्य प्राप्तियां					
– वसूली–योग्य ब्याज पर टीडीएस	5.00	–			
– प्राप्य सदस्यता फीस	906,000.00	–			
– बैठक के लिए अग्रिम	126,847.00	252,029.00			
– जीएसटी (इनपुट) दावा	761,461.00	–			
– जीएसटी पर टीडीएस (निवल)	74,579.00	–			
– श्रम (आउटसोर्सिंग) (एफओआईआरध्साफिर)	336,058.00	140,0 63.00			
– बैंक प्रभार (पूर्व वर्ष के लिए)	–	115.00			
– जीएसटी (आउटपुट)	3,024,000.00	3,024,000.00			
कुल	**114,972,596.92**	**109,141,792.35**	**कुल**	**114,972,596.92**	**109,141,792.35**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

अनुसूची 12 एवं 13 : (31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियत आस्तियां और मूल्यह्रास

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. अनुदान

क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. कराधान

प्रत्यक्ष करः–

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट

(i) विनियामक फोरम ने 13.12.2011 का आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। विनियामक फोरम छूट के लिए सचिव, केविविआ/एफओआर की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), अपर आयकर आयुक्त (मुख्यालय – समन्वय) और अन्य आयकर अधिकारियों को पत्र भेजकर आयकर विभाग के साथ उत्साह से मामले को आगे बढ़ा रहा है। तथापि, अभी तक कोई छूट प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) अवर सचिव (आईटीए–I), सीबीडीटी, नई दिल्ली और एडीआईटी (ई), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.09.2012 एवं 19.02.2013 को सूचनाएं/दस्तावेज मंगवाए गए थे, जो कि क्रमशः दिनांक 05.10.2012 एवं 15.03.2013 को प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान, वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2010–11 के लिए रु. 18,84,216/– की राशि आय एवं व्यय खाते में वसूली संदिग्ध समझी गई के रूप में उपबंधित की गई है।

(iii) एफओआर ने वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2015–16 के लिए छूट प्रदान करने की प्रत्याशा में शून्य आय की संगणना करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2014–15 के संबंध में मामला अभी भी आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है।

(iv) छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016–17 (वि.व. 2015–16) के लिए रु. 25,03,750/– के कर की उगाही की है और रु. 21,70,000/– का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) को अपील दायर की है।

6. आकस्मिक देयताएं

(i) वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2014–15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याजध्जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।

(ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवा कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए उपबंध

चालू वर्ष के दौरान, देनदार के लिए रु. 18,200/– की राशि बट्टे खाते डाली गई है। (पूर्ववर्ती वर्ष – शून्य)।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है / उपबंध नहीं किया गया है।

9. ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

10. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 अगस्त, 2019
यूडीआईएन सं.: 19511275AAAAFQ8047

अनुबंध –I

सीईआरसी द्वारा अवधारित उत्पादन टैरिफ

क. थर्मल और गैस पावर स्टेशनों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

क्र.सं.	स्टेशन	नियत शुल्क (पी / केडब्ल्यूएच)	ऊर्जा प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
एनटीपीसी और उसके जे.वी.				
1	बदरपुर TPS	80.98	399.49	480.47
2	बाढ़ एसटीपीएस –II	186.48	215.36	401.84
3	बोंगईगांव एसटीपीएस	271.42	305.41	576.83
4	फरक्का एसटीपीएस –I	83.47	240.35	323.82
5	फरक्का एसटीपीएस –III	150.42	240.79	391.21
6	एफजीयूटीपीएस FGUTPS ऊंचाहार –I	109.65	289.00	398.65
7	एफजीयूटीपीएस FGUTPS ऊंचाहार –II	101.32	289.65	390.97
8	एफजीयूटीपीएस FGUTPS ऊंचाहार –III	136.43	291.57	427.99
9	एफजीयूटीपीएस FGUTPS ऊंचाहार –IV	153.13	279.75	432.88
10	कहलगांव एसटीपीएस –I	106.53	225.60	332.14
11	कहलगांव एसटीपीएस –II	109.80	216.34	326.14
12	कोरबा एसटीपीएस –I	68.88	128.46	197.34
13	कोरबा एसटीपीएस –III	139.61	126.55	266.16
14	कुडगी एसटीपीएस–I	155.18	380.45	535.63
15	मौदा एसटीपीएस –I	189.43	298.10	487.53
16	मौदा एसटीपीएस –I	142.20	286.21	428.41
17	एनसीटीपीएस NCTPS दादरी –I	98.69	368.41	467.10
18	एनसीटीपीएस NCTPS दादरी –I I	144.99	343.14	488.13
19	रामगुंडम एसटीपीएस –I	73.21	256.68	329.89
20	रामगुंडम एसटीपीएस –III	77.64	250.79	328.44
21	रिहंद एसटीपीएस –I	85.78	132.20	217.98
22	रिहंद एसटीपीएस –III	71.17	131.96	203.12
23	रिहंद एसटीपीएस –III	145.63	133.78	279.40
24	सिम्हाद्री एसटीपीएस –I	95.13	285.19	380.32
25	सिम्हाद्री एसटीपीएस –II	153.32	286.47	439.80
26	सिंगरौली एसटीपीएस	65.75	136.96	202.71
27	सीपत एसटीपीएस –I	131.54	122.31	253.85
28	सीपत एसटीपीएस –II	124.87	126.34	251.21
29	सोलापुर एसटीपीएस –I	215.58	392.89	608.48
30	तालचेर एसटीपीएस –I	96.36	174.14	270.50
31	तालचेर एसटीपीएस –II	72.14	173.44	245.58

क्र.सं.	स्टेशन	नियत शुल्क (पी / केडब्ल्यूएच)	ऊर्जा प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
32	तालचेर टीपीएस	145.32	173.62	318.94
33	टांडा टीपीएस	128.32	277.91	406.23
34	विंध्याचल एसटीपीएस –I	86.36	150.05	236.40
35	विंध्याचल एसटीपीएस –II	70.10	150.09	220.19
36	विंध्याचलएसटीपीएस –III	105.46	150.37	255.83
37	विंध्याचल एसटीपीएस –IV	158.00	152.48	310.48
38	विंध्याचल एसटीपीएस –V	168.65	160.45	329.09
39	कोलडैम एचपीएस HPS	249.19	248.91	498.10
40	अंतागैस टीपीपी TPP	71.73	503.7	575.45
41	औरैया गैस टीपीपी TPP	64.18	601.4	665.59
42	दादरी गैस टीपीपी TPP	58.25	421.4	479.60
43	फरीदाबाद गैस टीपीपी TPP	75.80	343.1	418.91
44	कवास गैस टीपीपी TPP	85.41	285.5	370.90
45	झंवर गंधार गैस टीपीपी TPP	108.21	277.5	385.73
46	केबीयूएनएल KBUNL कांती स्टेज–I	115.70	338.80	454.50
47	केबीयूएनएल KBUNL कांती स्टेज –II	274.10	248.40	522.50
48	बीआरबीसीएल BRBCL	241.00	194.00	435.00
49	एपीसीपीएल APCPL, झज्जर	163.00	339.00	502.00
50	एनटीईसीएल NTECL, वैल्लूर	178.00	337.70	515.70
	डीवीसी			
1	बीटीपीएस यू BTPS U – 3	77.02	209.92	286.94
2	सीटीपीएस यू CTPS U – 3	105.16	0.00	105.16
3	सीटीपीएस CTPS 7 – 8	156.61	189.00	345.61
4	एमटीपीएस MTPS 1–3	84.82	283.23	368.05
5	एमटीपीएस MTPS 4	83.58		366.81
6	एमटीपीएस MTPS 5 – 6	139.84	286.10	425.94
7	एमटीपीएस MTPS 7 – 8	144.46	261.90	406.36
8	डीएसटीपीएस DSTPS 1–2	156.51	250.60	407.11
9	डीटीपीएस DTPS U – 4	92.34	325.38	417.72
10	केटीपीएस KTPS 1–2	166.65	203.70	370.35
11	बीटीपीएस क BTPS A	218.80	163.70	382.50
12	आरटीपीएस RTPS 1–2	164.84	228.30	393.14
13	मैथन एचपीएस HPS (1 – 3)	173.00	173.00	346.00
14	पंचेत एचपीएस HPS (1 – 2)	163.10	163.10	326.20
15	तिलैया एचपीएस HPS (1 – 2)	951.80	951.80	1903.60

क्र.सं.	स्टेशन	नियत शुल्क (पी / केडब्ल्यूएच)	ऊर्जा प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
नीपको				
1	दोयांग एचईपी HEP	216.90	289.30	508.20
2	रंगनादी एचईपी HEP	140.70	108.80	250.80
3	कोपिली एचईपी HEP	79.00	58.20	138.40
4	खंडोंग एचईपी HEP	129.30	89.10	219.40
5	कोपिली– II एचईपी HEP	82.30	81.70	163.90
6	पारे एचईपी HEP	250.00	250.00	500.00
7	तुअरियल एचईपी HEP	408.40	120.90	529.40
8	अगरतला जीपीएस	204.60	248.80	465.70
9	असम जीपीएस	230.10	204.60	443.80
10	त्रिपुरा गैस आधारित सीसीपीपी CCPP	258.90	178.80	437.80
11	मोनारचक सौर ऊर्जा संयंत्र	0.00	289.90	289.90
ओएनजीसी ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड				
1	ओटीपीसीएल OTPCL– पलटन पावर परियोजना	170.00	142.00	312.00
एनएलसी इंडिया लि				
1	टीपीएस	105.9	366.8	472.7
2	टीपीएस –2 स्टेज –I	80.5	258.4	338.9
3	टीपीएस –2 स्टेज –II	83.4	258.5	341.9
4	टीपीएस –1 विस्तार	102.5	239.2	341.7
5	टीपीएस –2 विस्तार	230.9	254.0	484.9
6	बरसिंगसार टीपीएस	228.2	112.8	341

ख. हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों का समन्वित टैरिफ

क्र.सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	प्रकार	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	वार्षिक नियत प्रभार (रुपये/करोड़)	समन्वित टैरिफ (रुपये/किलोवाट घण्टा)
एनएचपीसी						
1	बैरासियूल	पॉन्डेज	180	779	138	2.03
2	लोकतक	भंडारण	105	448	150	3.84
3	सलाल	आरओआर	690	3082	331	1.23
4	टनकपुर	आरओआर	123	452	130	3.29
5	चमेरा–I	पॉन्डेज	540	1665	330	2.28
6	यूआरआई –I	आरओआर	480	2587	370	1.64
7	रंगित	पॉन्डेज	60	339	112	3.80
8	चमेरा –II	पॉन्डेज	300	1500	262	2.01
9	धौलीगंगा–I	पॉन्डेज	280	1135	240	2.43
10	दुलहस्ती	आरओआर	390	1907	912	5.50
11	तीस्ता –V	पॉन्डेज	510	2572	520	2.32
12	सेवा –II*	पॉन्डेज	120	534	199	4.33
13	चमेरा –III*	पॉन्डेज	231	1086	405	4.25
14	चटक	आरओआर	44	213	145	7.85
15	यूआरआई –II	आरओआर	240	1124	469	4.86
16	निमू बाजगो	पॉन्डेज	45	239	176	8.46
17	तीस्ता –एलडीपी–III*	पॉन्डेज	132	594	361	6.20
18	तीस्ता ––एलडीपी –IV*	पॉन्डेज	160	581	162	2.56
19	पारबती–III	आरओआर	520	1977	520	3.02
	कुल		**5150**	**22814**		
एनएचडीसी						
1	इंदिरा सागर	भंडारण	1000	2247	529	2.70
2	ओंकारेश्वर	भंडारण	520	957	398	4.78
	कुल		**1520**	**3204**		
टीएचडीसी						
1	टिहरी एचपीपी स्टेज –1	भंडारण	1000	2767	1292	5.36
2	कोटेश्वर एचईपी	पॉन्डेज के साथ आरओआर	400	1155	466	4.63
	कुल		1400	3922		
			एसजेवीएनएल			
1	नपता झखरी	आरओआर	1500	6924	1345	2.23
2	रामपुर एचईपी	आरओआर	412	1878	697	4.27
	कुल		1912	8802		
नीपको						
1	कोपिली एचईपी स्टेज –I	भंडारण	200	1186	120	1.16
2	कोपिली एचईपी स्टेज –II	भंडारण	25	86	12	1.63
3	खानडोंग	भंडारण	50	278	44	1.81
4	दोयांग	भंडारण	75	227	108	5.48
5	रंगनादी एचईपी	पॉन्डेज	420	1874	273	1.67
	कुल		**770**	**3651**		

*** बिलिंग के लिए अनुमत्त टैरिफ दिया गया है।**

ग. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2018–19) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना	
एचपीए उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य (5एमडब्ल्यू से कम)	5.11
एचपीए उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य (5एमडब्ल्यू से 25एमडब्ल्यू)	4.32
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	6.05
अन्य राज्य (5एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	5.07

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत (रुपये / किलोवाट घण्टा)	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.71	4.59	7.30	0.11	7.19
हरियाणा	2.76	5.23	7.99	0.11	7.88
महाराष्ट्र	2.77	5.35	8.12	0.11	8.00
पंजाब	2.78	5.47	8.25	0.11	8.14
राजस्थान	2.71	4.56	7.27	0.11	7.16
तमिलनाडु	2.70	4.52	7.22	0.11	7.11
उत्तर प्रदेश	2.72	4.67	7.39	0.11	7.28
अन्य	2.74	4.91	7.65	0.11	7.54

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत (रुपये / किलोवाट घण्टा)	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.86	4.70	7.56	0.12	7.43
हरियाणा	2.91	5.35	8.26	0.12	8.14
महाराष्ट्र	2.92	5.47	8.39	0.12	8.27
पंजाब	2.93	5.59	8.52	0.12	8.40
राजस्थान	2.86	4.67	7.53	0.12	7.40
तमिलनाडु	2.85	4.62	7.47	0.12	7.35
उत्तर प्रदेश	2.87	4.78	7.65	0.12	7.52
अन्य	2.89	5.02	7.91	0.12	7.79

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.82	4.59	7.41	0.12	7.29
हरियाणा	2.87	5.23	8.10	0.12	7.97
महाराष्ट्र	2.88	5.35	8.23	0.12	8.10
पंजाब	2.89	5.47	8.36	0.12	8.23
राजस्थान	2.82	4.56	7.38	0.12	7.26
तमिलनाडु	2.81	4.52	7.33	0.12	7.21
उत्तर प्रदेश	2.83	4.67	7.50	0.12	7.38
अन्य	2.84	4.91	7.76	0.12	7.63

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.98	4.70	7.68	0.13	7.54
हरियाणा	3.03	5.35	8.38	0.13	8.24
महाराष्ट्र	3.04	5.47	8.51	0.13	8.38
पंजाब	3.05	5.59	8.64	0.13	8.51
राजस्थान	2.98	4.67	7.64	0.13	7.51
तमिलनाडु	2.97	4.62	7.59	0.13	7.46
उत्तर प्रदेश	2.99	4.78	7.76	0.13	7.63
अन्य	3.00	5.02	8.03	0.13	7.90

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.70	4.51	7.21	0.11	7.10
हरियाणा	2.75	5.13	7.89	0.11	7.78
महाराष्ट्र	2.76	5.25	8.01	0.11	7.90
पंजाब	2.77	5.37	8.14	0.11	8.03
राजस्थान	2.70	4.48	7.18	0.11	7.07
तमिलनाडु	2.70	4.44	7.13	0.11	7.02
उत्तर प्रदेश	2.71	4.59	7.30	0.11	7.19
अन्य	2.73	4.82	7.55	0.11	7.44

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.85	4.61	7.47	0.12	7.34
हरियाणा	2.90	5.25	8.16	0.12	8.03
महाराष्ट्र	2.91	5.37	8.29	0.12	8.16
पंजाब	2.92	5.49	8.42	0.12	8.29
राजस्थान	2.85	4.58	7.44	0.12	7.31
तमिलनाडु	2.85	4.54	7.39	0.12	7.26
उत्तर प्रदेश	2.86	4.69	7.55	0.12	7.43
अन्य	2.88	4.94	7.81	0.12	7.69

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.81	4.51	7.32	0.12	7.20
हरियाणा	2.86	5.13	8.00	0.12	7.87
महाराष्ट्र	2.87	5.25	8.12	0.12	8.00
पंजाब	2.88	5.37	8.25	0.12	8.13
राजस्थान	2.81	4.48	7.29	0.12	7.17
तमिलनाडु	2.81	4.44	7.24	0.12	7.12
उत्तर प्रदेश	2.82	4.59	7.41	0.12	7.29
अन्य	2.84	4.82	7.66	0.12	7.54

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.97	4.61	7.59	0.13	7.45
हरियाणा	3.02	5.25	8.27	0.13	8.14
महाराष्ट्र	3.03	5.37	8.40	0.13	8.27
पंजाब	3.04	5.49	8.54	0.13	8.40
राजस्थान	2.97	4.58	7.55	0.13	7.42
तमिलनाडु	2.97	4.54	7.50	0.13	7.37
उत्तर प्रदेश	2.98	4.69	7.67	0.13	7.54
अन्य	3.00	4.94	7.93	0.13	7.80

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोगैस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	3.13	2.98	6.10	0.17	5.93
हरियाणा	2.79	4.24	7.03	0.15	6.88
महाराष्ट्र	2.50	4.17	6.68	0.13	6.55
पंजाब	2.75	3.73	6.48	0.15	6.33
तमिलनाडु	2.42	3.21	5.63	0.13	5.50
उत्तर प्रदेश	3.15	3.32	6.48	0.17	6.31
अन्य	2.74	3.61	6.35	0.15	6.20

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.58	4.19	6.77	0.08	6.69
हरियाणा	2.63	4.77	7.40	0.08	7.32
महाराष्ट्र	2.64	4.88	7.52	0.08	7.43
पंजाब	2.65	4.99	7.64	0.08	7.55
राजस्थान	2.58	4.16	6.74	0.08	6.66
तमिलनाडु	2.58	4.12	6.70	0.08	6.62
उत्तर प्रदेश	2.59	4.26	6.85	0.08	6.77
अन्य	2.61	4.48	7.09	0.08	7.01
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.40	4.40	7.79	0.19	7.60

एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों की समयबद्धता

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2018–19 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
1	अंडमान और निकोबार	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन (ED A&N)	31/मार्च/2018	26/फरवरी/2018	01/अप्रैल/2018	
2	आंध्र प्रदेश	दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (SPDCL)	31/मार्च/2018	27/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
3	आंध्र प्रदेश	पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (EPDCL)	31/मार्च/2018	27/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
4	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश (DOP, AP)	31/मार्च/2018	31/मई/2018	01/जून/2018	
5	असम	असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (APDCL)	31/मार्च/2018	19/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
6	बिहार	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)	31/मार्च/2018	21/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
7	बिहार	दक्षिणी बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)	31/मार्च/2018	21/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (CED)	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
9	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (CSPDCL)	31/मार्च/2018	26/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
10	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
11	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
12	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली वितरण लि (TPDDL)	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
13	दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC)	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
14	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DNHPDCL)	31/मार्च/2018	30/जनवरी/2018	01/अप्रैल/2018	
15	दमन और दीव	दमन और दीव विद्युत विभाग (ईडी डीडी) (ED DD)	31/मार्च/2018	13/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
16	गोवा	गोवा विद्युत विभाग (ईडीजी) (EDG)	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
17	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL)	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
18	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (MGVCL)	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
19	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL)	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
20	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (PGVCL)	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
21	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण सूरत	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
22	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण अहमदाबाद	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
23	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL)	31/मार्च/2018	15/नवम्बर/2018	01/नवम्बर/2018	
24	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड (DHBVNL)	31/मार्च/2018	15/नवम्बर/2018	01/नवम्बर/2018	
25	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि (HPSEBL)	31/मार्च/2018	04/मई/2018	01/अप्रैल/2018	

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2018–19 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
26	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)	31/मार्च/2018	27/अप्रैल/2018	01/मई/2018	
27	झारखंड	दामोदर घाटी निगम (DVC)	31/मार्च/2018	18/मई/2018	01/मई/2018	MYT वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ARR का अनुमान लगाया गया है और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 18 मई 2018 से टैरिफ का निर्धारण किया गया है
28	झारखंड	जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (JUSCO)	31/मार्च/2018	07/जून/2018	01/जून/2018	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ARR और टैरिफ 07–जून–2018 पर निर्धारित किया गया है
29	झारखंड	टाटा स्टील लिमिटेड (TSL)	31/मार्च/2018	01/मई/2018	01/मई/2018	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ARR और टैरिफ का निर्धारण 18–मई–2018 को किया गया है
30	झारखंड	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)	31/मार्च/2018	01/जून/2018	01/जून/2018	व्यवसाय योजना और एआरटीआर के लिए एमईआरटी नियंत्रण अवधि 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 तक और वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति शुल्क 07 जून–2018 को निर्धारित किया गया है
31	कर्नाटक	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM)	31/मार्च/2018	14/मई/2018	01/अप्रैल/2018	
32	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (CESC)	31/मार्च/2018	14/मई/2018	01/ अप्रैल/ 2018	
33	कर्नाटक	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (GESCOM)	31/मार्च/2018	14/मई/2018	01/अप्रैल/2018	
34	कर्नाटक	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (HESCOM)	31/मार्च/2018	14/मई/2018	01/अप्रैल/2018	
35	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (MESCOM)	31/मार्च/2018	14/मई/2018	01/अप्रैल/2018	
36	केरल	केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (KSEBL)	31/मार्च/2018	27/मार्च/2018,	31/दिसंबर/2018*	* वित्तीय वर्ष 2017–18 के टैरिफ को आयोग द्वारा 31.03.2019 तक स्वप्रेरणा आदेश (27–मार्च–2018, 31–दिसंबर–2018) तक बढ़ाया गया था और आगे MYT अवधि के लिए आदेश को 2018–19 से 2021–22 के लिए 8 जुलाई 2019 को जारी किया गया।
37	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप यू.टी. विद्युत विभाग (LED)	31/मार्च/2018	19/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
38	मध्य प्रदेश	सेंट्रल डिस्कॉम	31/मार्च/2018	03/मई/2018	11/मई/2018	
39	मध्य प्रदेश	पूर्व डिस्कॉम	31/मार्च/2018	03/मई/2018	11/ मई/2018	
40	मध्य प्रदेश	पश्चिम डिस्कॉम	31/मार्च/2018	03/मई/2018	11/मई/2018	
41	महाराष्ट्र	टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन (TPC&D)	31/मार्च/2018	12/सितम्बर/2018	01/सितम्बर/2018	आयोग ने MYT टैरिफ ऑर्डर के अनुसार वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2019–20 नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित टैरिफ के साथ 12.09.2018 को एमटीआर आदेश जारी किया गया है।
42	महाराष्ट्र	आर इंफ्रा डी /अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (AEML)	31/मार्च/2018	12/सितम्बर/2018	01/सितम्बर/2018	
43	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL)	31/मार्च/2018	12/सितम्बर/2018	01/सितम्बर/2018	
44	महाराष्ट्र	बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST)	31/मार्च/2018	12/सितम्बर/2018	01/सितम्बर/2018	

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2018–19 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
45	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSPDCL)	31/मार्च/2018	12/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
46	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MePDCL)	31/मार्च/2018	31/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
47	मिजोरम	ऊर्जा और विद्युत विभाग (P&ED), मिजोरम	31/मार्च/2018	12/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
48	नगालैंड	ऊर्जा विभाग, नगालैंड (DPN)	31/मार्च/2018	29/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
49	ओडिशा	केंद्रीय विद्युत आपूर्ति यूटिलिटी (CESU)	31/मार्च/2018	22/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
50	ओडिशा	ओडिशा लिमिटेड की उत्तर पूर्वी बिजली आपूर्ति कंपनी (NESCO)	31/मार्च/2018	22/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
51	ओडिशा	साउथको	31/मार्च/2018	22/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
52	ओडिशा	उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी (WESCO)	31/मार्च/2018	22/डंत/2018	01/अप्रैल/2018	
53	पुडुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग (PED)	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
54	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL)	31/मार्च/2018	19/अप्रैल/2018	01/अप्रैल/2018	
55	राजस्थान	अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड (AVVNL)	31/मार्च/2018	28/मई/2018	01/जून/2018	
56	राजस्थान	जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड (JdVVNL)	31/मार्च/2018	28/मई/2018	01/जून/2018	
57	राजस्थान	जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड (JVVNL)	31/मार्च/2018	28/मई/2018	01/जून/2018	
58	सिक्किम	ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम (EPDS)	31/मार्च/2018	28/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	ARR को वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2018–19 तक पेश अनुमान किया गया है, और वर्ष 2017–18 के लिए वित्तीय वर्ष टैरिफ का निर्धारण किया गया है
59	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एंड वितरण कॉर्पोरेशन लि (TANGEDCO)	31/मार्च/2018	11/अगस्त/2017	01/अप्रैल/2018	
60	तेलंगाना	तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी (TSNPDCL)	31/मार्च/2018	27/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
61	तेलंगाना	तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी (TSSPDCL)	31/मार्च/2018	27/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	* त्रिपुरा राज्य में जारी अंतिम टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 22 नवंबर 2014 को था। आयोग ने लाइसेंसधारक को टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्मर.ा कराया है, लेकिन लाइसेंसधारी ने कोई याचिका दायर नहीं की है। वित्त वर्ष 2014–15 से लाइसेंसधारी द्वारा कोई भी टैरिफ याचिका दायर नहीं की गई है और न ही आयोग द्व ारा टैरिफ आदेश जारी किया गया था। इसलिए वित्त वर्ष 2014–15 के लिए टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागू है।

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2018–19 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
62	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि (TSECL)	31/मार्च/2018	22/नवंबर/2014*	01/अप्रैल/2018	
63	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत् वितरण निगम लि (DVVNL)	31/मार्च/2018	22/जनवरी/2019	29/जनवरी/2019	स्वप्रेरणा पहल आयोग द्वारा की गई है
64	उत्तर प्रदेश	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि (KESCo)	31/मार्च/2018	22/जनवरी/2019	29/जनवरी/2019	स्वप्रेरणा पहल आयोग द्वारा की गई है
65	उत्तर प्रदेश	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL)	31/मार्च/2018	22/जनवरी/2019	29/जनवरी/2019	स्वप्रेरणा पहल आयोग द्वारा की गई है
66	उत्तर प्रदेश	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL)	31/मार्च/2018	22/जनवरी/2019	29/जनवरी/2019	स्वप्रेरणा पहल आयोग द्वारा की गई है
67	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क (PuVVNL)	31/मार्च/2018	22/जनवरी/2019	29/जनवरी/2019	स्वप्रेरणा पहल आयोग द्वारा की गई है
68	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL)	31/मार्च/2018	22/जनवरी/2019	29/जनवरी/2019	
69	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन (UPCL)	31/मार्च/2018	21/मार्च/2018	01/अप्रैल/2018	
70	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (WBSEDCL)	31/मार्च/2018	04/जुलाई/2018*	01/अप्रैल/2018	* वर्ष 2017–18 के लि, पांचवीं नियंत्रण अवधि को कवर करते हुए संशोधित प्राक्कलन का अंतिम आदेश 4–7–2018 को जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।
71	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन (CESC)	31/मार्च/2018	04/जुलाई/2018*	01/अप्रैल/2018	* वर्ष 2017–18 के लिए पांचवीं नियंत्रण अवधि को कवर करते हुए संशोधित प्राक्कलन का अंतिम आदेश 4–7–2018 को जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।
72	पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम (DVC)	31/मार्च/2018	04/जुलाई/ 2018*	01/अप्रैल/2018	* वर्ष 2017–18 के लिए पांचवीं नियंत्रण अवधि को कवर करते हु, संशोधित प्राक्कलन का अंतिम आदेश 4–7–2018 को जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।
73	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर लिमिटेड (DPL)	31/मार्च/2018	28/अक्टूबर/2016*	01/अप्रैल/2018	"वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन" का अंतिम आदेश दिनांक 28–10–2016 को जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।
74	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPCL)	31/मार्च/2018	17/फरवरी/2017*	01/अप्रैल/2018	"वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन" का आदेश वित्तीय वर्ष 2016–17 बाद कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।

अनुबंध –III

सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली

I– रिक्त पदों का सारांशे

सीजीआरएफ में रिक्तियां

1. बिहार राज्य में सदस्य के पद के लिए पांच रिक्तियां।
2. सदस्य के पद के लिए चार रिक्तियां (उपभोक्ता से संबंधित मामले) और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में सदस्य (विधि) के पद के लिए दो रिक्तियां।
3. हरियाणा राज्य में सदस्य (डीएचबीवीएन) के पद के लि, एक रिक्ति।
4. गोवा एवं संघशासित प्रदेश राज्य में अध्यक्ष पद के लिए एक रिक्ति और सदस्य (लाइसेंस) पद के लिए चार रिक्ति।
5. महाराष्ट्र राज्य में अध्यक्ष के पद के लिए दो रिक्तियां और सदस्य (लाइसेंस) के पद के लिए दो रिक्तियां।
6. राज्य एसएसईआरसी में सदस्य II का एक पद।
7. तमिलनाडु राज्य में सदस्य के पद के लिए पांच रिक्तियां।
8. छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्र सदस्य के पांच पद और एक सदस्य।
9. गुजरात राज्य में अध्यक्ष का एक पद।
10. तेलंगाना राज्य में दो रिक्ति।
11. उत्तर प्रदेश राज्य में सदस्य (तकनीकी) के चार पद और एक रिक्ति सदस्य (न्यायिक)।

ओमबड्समैन में रिक्तियां

1. मध्य प्रदेश राज्य में लोकपाल का पद 04–05–2018 से रिक्त है।
2. नागालैंड राज्य में लोकपाल का पद अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।
3. ओमबड्समैन अभी तक जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थापित नहीं हुआ है।

सीजीआरएफ द्वारा शिकायत के निपटान की स्थिति

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2019	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही जनवरी से मार्च, 2019)में सीजीआर,फ की बैठक की संख्या
1	असम	एपीडीसीएल APDCL, सिलचर			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		एपीडीसीएल APDCL, डिब्रूगढ़	0	0	0	0	0	0
		एपीडीसीएल APDCL, तेजपुर जोन	0	0	0	0	0	0
		एपीडीसीएल (एलएजेड) APDCL (LAZ), गुवाहाटी	1	1	1	0	0	2
		एपीडीसीएल (एलएआर) APDCL (LAR), जोरहाट जोन			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		एपीडीसीएल APDCL, नगांव			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		कुल	1	1	1	0	0	2
2	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल APSPDCL / तिरुपति / आंध्र प्रदेश			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		एपीईपीडीसीएल APEPDCL / विशाखापत्तनम	140	111	106	145	78	16
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन, पासीघाट, मियाओ दारांग, जीरो, ऐलो, तेजू	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, गया	246	104	107	243	189	135
5	दिल्ली	टीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी TPDDL, BRPL, BYPL, NDMC	104	98	142	23	75	66
6	गुजरात	पीजीवीसी,ल, राजकोट, पीजीवीसीएलए भावनगर, पीजीवीसीएल, भुज, यूवीसीएल, एमजीवीसीएल, डीजीवीसी, टीपीएल – अहमदाबाद टीपीएल, सूरत	146	225	252	119	39	66
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल UHBVNL	49	16	36	29	12	14
		डीएचबीवीएनएल DHBVNL	12	72	56	28	0	16
		कुल	0					
8	हिमाचल प्रदेश	कासुमती, शिमला	29	6	3	32	28	9
9	झारखंड			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।				

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2019	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही जनवरी से मार्च, 2019)में सीजीआर,फ की बैठक की संख्या
10	कर्नाटक	बीईएससीओएम BESCOM	41	18	7	52	39	8
		एमईएससीओएम MESCOM	1	4	2	3	1	2
		एचईएससीओएम HESCOM	4	7	6	5	1	16
		जीईएससीओएम GESCOM	26	11	25	12	11	13
		सीईएससी CESC	2	6	7	1	0	7
		कुल	74	46	47	73	52	46
11	केरल	सीजीआरएफ –CGRF– उत्तर (केएसईबी KSEB)	23	57	43	37	0	16
		सीजीआर,फ –CGRF– केंद्रीय (केएसईबी KSEB)	53	41	66	28	0	10
		सीजीआर,फ –CGRF– दक्षिण (KSEB)	26	30	31	25	0	16
		त्रिचूर निगम	1	0	1	0	0	1
		केडीएचपीसीएल KDHPCL	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	103	128	141	90	0	43
12	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ ECGRF भोपाल	27	40	31	36	13	14
		ईसीजीआरएफ ECGRF इंदौर	31	58	54	35	7	31
		ईसीजीआरएफ ECGRF जबलपुर	41	2548	2576	13	–	42
		कुल	99	2646	2661	84	20	87
13	महाराष्ट्र	भांडुप शहरी जोन, चंद्रपुर जोन, अकोला ,बीईएसटी अंडरटेकिंग, एईएमएल–डीए टीपीसी–डीए एमआई, नडी, सपीसीई, जीआईजीएपीएलई, DI Undertaking] AEML&D] TPC&D] Mindspace] GigapleÛ	311	268	294	279	139	236
14	मेघालय	मेघालय, सीजीआरएफ CGRF	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	"ून्य
15	ओडिशा	भुनेश्वर, खुर्दा, कटक, ढेंकनाल, परदीप, राउरकेला, बुर्ला, बोलनगीर, बालासोर, जयपुर रोड, बेरहामपुर, जेयपोर	63	2040	2012	75	7	211
16	पंजाब	पीएसपीसीआईएल PSPCL, पटियाला	28	100	86	42	9	27
		लुधियाना	32	99	86	45	3	26
		कुल	60	199	172	87	12	53

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2019	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही जनवरी से मार्च, 2019)में सीजीआर,फ की बैठक की संख्या
17	राजस्थान	अजमेर	631	1358	1711	278	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
		जयपुर	2078	9175	9590	1663	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
		जोधपुर	279	1148	1260	167	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
		कुल	2988	11681	12561	2108	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
18	तमिलनाडु	चेंगलपट्टु ईडीसी, चेन्नई ईडीसी (उत्तर)चेन्नई ईडीसी (पश्चिम), चेन्नई ईडीसी (केंद्रीय)चेन्नई ईडीसी / दक्षिण –1, चेन्नई ईडीसी / दक्षिण –II कोयंबतूर ईडीसी / मेट्रो, कोयंबतूर ईडीसी / उत्तर, कोयंबत्तूर ईडीसी, दक्षिण कुड्डालोर ईडीसी, धर्मपुरी ईडीसी, डिंडीगुल ईडीसी , इरोड ईडीसी, गोबी ईडीसी, कल्लाकुरिची ईडीसी, कांचीपुरम. ईडीसी, कन्याकूमारी ईडीसी, करूर ईडीसी, कृष्णागिरी ईडीसी, मदुरै ईडीसी, मदुरै ईडीसी / मेट्रो मेट्टूर ईडीसी, नागपट्टिनम ईडीसी, नमक्कल ईडीसी, नीलगिरी ईडीसी, पल्लादम ईडीसी, पेरम्बलुर ईडीसी, पुडुकोट्टई ईडीसी, रामनाथा पुरम ईडीसी, सलेम ईडीसी, सिवगानगाई ईडीसी थानज वुर ईडीसी THENI बिजली वितरण सर्कल थिरुपथुर ईडीसी, थिरुवन्नमलाई ईडीसी, तिरुनेलवेली ईडीसी	179	226	214	191	69	65
19	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, फैजाबाद, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, झाँसी झैम्ब कानपुर, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी	875	924	749	944	693	772
20	उत्तराखण्ड	गढ़वाल जोन	18	36	40	14	5	पूर्णकालिक
		कुमाऊँ जोन	31	51	46	36	28	पूर्णकालिक
		हरिद्वार	15	33	33	15	3	पूर्णकालिक
		उधम सिंह नगर	5	60	51	12	1	पूर्णकालिक
		श्रीनगर	4	9	11	2	5	–
		कुल	**73**	**189**	**181**	**79**	**42**	0

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2019	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही जनवरी से मार्च, 2019)में सीजीआर,फ की बैठक की संख्या
21	डब्ल्यूबीईआरसी		81	300	267	250	35	151
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	पी एण्ड ई विभाग, सीजीआरएफ पॉवर ,वं इलैक्ट्रिसिटी विभाग, मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		मणिपुर राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल) सीजीआरएफ मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	गोवा	11	6	5	12	8	10
		लक्षद्वीप	5	2	6	1	1	12
		दमन और दीव	7	2	0	9	9	0
		दादरा नगर हवेली	6	2	7	1	1	5
		चंडीगढ़	16	44	41	19	–	9
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	"ून्य	4	1*	42
		पुडुचेरी	20	19	25	14	8	48
		कुल	66	78	84	60	27	126
24	सिक्किम	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	छत्तीसगढ़	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, भिलाई	24	43	31	36	7	56
26	जम्मू और कश्मीर		सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।					
27	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरएफ–1, सीजीआरएफ–2, सीजीआरएफ–3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	नगालैंड							
29	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल, टीएसएनपीडीसीएल TSSPDCL, TSNPDCL	298	817	1311	621	387	78

III. ओमबड्समैन द्वारा शिकायत के निपटान की स्थिति

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2019)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) में ओमबड्समैन की बैठक की संख्या
1	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	1	3	9	9	3	2	9
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	34	5	17	22	18	45
5	दिल्ली	1	7	10	6	10	2	20
6	गुजरात	1	24	21	36	9	0	56
7	हरियाणा	1	1	6	2	4	3	10
8	हिमाचल प्रदेश	1			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
9	झारखंड	1			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
10	कर्नाटक	1	8	17	6	19	7	32
11	केरल	1	8	26	18	16	0	21
12	मध्य प्रदेश	1	28	4	1	31	29	–
13	महाराष्ट्र	2	63	128	119	71	12	125
14	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	ओडिशा	2	21	41	26	31	7	61
16	पंजाब	1	19	21	19	21	0	31
17	राजस्थान	1	4	8	5	7	0	पूर्णकालिक
16	तमिलनाडु	1	35	17	14	38	0	21
19	उत्तराखंड	1	8	15	13	10	0	पूर्णकालिक
20	उत्तर प्रदेश		196	106	55	247	200	14

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2019)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2019) में ओमबड्समैन की बैठक की संख्या
21	पश्चिम बंगाल	2	112	89	76	125	82	45
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	1	1	2	3	0	0	2
24	छत्तीसगढ़	1	4	3	1	6	0	61
25	त्रिपुरा	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	जम्मू और कश्मीर	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।						
28	नगालैंड	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।						
29	तेलंगाना	1	6	22	10	18	8	60

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91-11-23753920 फैक्सः +91-11-23752958